

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2019—आषाढ़ 7, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. ई-1-263-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद का प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	अतिरिक्त प्रभार (3)
1	श्री अनिल सुचारी (2006), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
2	श्री बी. विजय दत्ता (2011) आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.	कलेक्टर, भोपाल

5717

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

भोपाल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. ई-1-257-2019-5-एक.—श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000), अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से सेवाएं वापस लेते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव, भाप्रसे (2000) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, भाप्रसे (2008) संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को केवल संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-1-262-2019-5-एक.—श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे (2007), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, बुरहानपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-916-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 10 से 20 जून 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 9 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रूचिका चौहान, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 8 जून 2019

क्र. ई-1-265-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री गुलशन बामरा (1997), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग. [इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/256/2019/5/एक, दिनांक 1 जून 2019, जिसके द्वारा श्री गुलशन बामरा भाप्रसे (1997) की कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर की गई पदस्थापना को निरस्त करते हुए].
2	श्री आनंद कुमार शर्मा (2001) आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण तथा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, सागर संभाग, सागर
3	श्री नीरज कुमार सिंह (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्र. ई-1-266-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय कुमार (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
2	श्री दीपक सिंह (2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री उमाशंकर भार्गव (2011), उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय.	कलेक्टर, जिला रायसेन	—

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-262-2019-5-एक, दिनांक 1 जून 2019 जिसके द्वारा श्रीमती सुफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल की कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर की गई पदस्थापना को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-1-267-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेश जैन (2004), अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग भोपाल.	प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, मध्यप्रदेश भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री संजीव सिंह (2005), संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (एमपीएसएसडीएम) तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं संचालक, रोजगार.	संचालक, आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अनिल सुचारी (2006) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री वी. किरण गोपाल (2008) अवकाश से वापस लौटने पर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री नंदकुमारम् (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजीव सिंह द्वारा संचालक, आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000) आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा संचालक, आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, आर.सी.वी.पी., नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-268-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी. सी. मीना (1984) अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं साप्रवि मानव अधिकार प्रकोष्ठ (अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं साप्रवि (मानव अधिकार प्रकोष्ठ).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
2	श्री अशोक शाह (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग	—
3	श्री शोभित जैन (2000) सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री जे. के. जैन (2001) सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर	—
5	श्री निशांत वरबड़े (2003) सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा	—
6	श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल (2003) प्रशिक्षण एवं अवकाश से लौटने पर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	—

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री सुदाम पंढरीनाथ खाडे (2006) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	महाप्रबंधक (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड अतिरिक्त प्रभार को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2019

क्र. ई-1-269-2019-5-एक.—श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. ई-1-271-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज खत्री (2008) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री शमीम उद्दीन (2008) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री धनराजू एस. (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	डॉ. पंकज जैन (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	—
5	श्री राजीव रंजन मीना (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजीव रंजन मीना द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री मनोज खत्री द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, भाप्रसे (2000) आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-272-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री उमेश कुमार (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
2	सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
3	श्री सतेन्द्र सिंह (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
4	श्री गणेश शंकर मिश्रा (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग
5	श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
6	श्री चन्द्रमौली शुक्ला (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ.-विशेष परियोजनाएं.
7	श्री संजय कुमार (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
8	श्री हरिसिंह मीणा (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.

क्र. ई-5-523-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2019

क्र. ई.-5-899-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 26 जून 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1075-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. विश्वनाथन, आयएस., कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 22 से 29 जून 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार श्री आशकृत तिवारी, भाप्रसे, अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशकृत तिवारी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. ई-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 17 से 22 जून 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-963-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी सिंह, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 3 से 17 मई 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जून 2019

क्र. एफ-1(बी)83-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये—15600—39100+5400/- (सातवें वेतनमान में लेवल-12 में 56,100—177500/- में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	डॉ. शुचि कौशिक, 8, गोविन्दपुरी, ब्रज बिहार फेस-2, कमला नगर, आगरा, उ. प्र.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, अशोकनगर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	02	श्री हरिशंकर, आत्मज श्री पुतूलाल, म. नं. 5650, नागला गोवर्धन, भवंत चौराहा के पास, मैनपुरी, उ. प्र.-205001.	जिला सीन ऑफ क्राइम (मोबाईल) यूनिट, उमरिया.

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन या भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7. परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अर्जाएं एवं अर्जा प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

9. प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. जामोद, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)-393-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2018 को निरस्त करते हुए श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, तत्का. अति. पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पु.मु. भोपाल, वर्तमान में अमनि, कॉपरेटिव फ्रॉड, पु.मु. भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अकेले गृह नगर भुवनेश्वर की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)-79-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, सेनानी 9वीं वाहिनी, विसबल, रीवा को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 30 जून 2019 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर गुना जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे का चालू कार्य श्री आबिद खान, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 9वीं वाहिनी, विसबल, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1-41-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री पंकज कुमावत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर को दिनांक 15 से 26 जुलाई 2019 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इण्डोनेशिया (बाली) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, अशोक नगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमावत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिल्ली जाने हेतु दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 तथा 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में

इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, नक्सल विरोधी अभियान, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2019 को निरस्त करते हुए श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, (वि. पु. स्था.) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 13 से 19 जून 2019 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में इन्दौर, पटना, इलाहाबाद भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्री अनिल कुमार | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती सुनीता कुमार | — | पत्नी |
| 3. श्री अक्षत सिद्धांत | — | पुत्र |

(2) श्री अनिल कुमार, भापुसे, महानिदेशक, (वि. पु. स्था.) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, वि. पु. स्था., लोकायुक्त, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, (वि. पु. स्था.) लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्र. एफ-1 (ए) 78-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 06, 07, 10 व 11 जून 2019 का चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 05, 08 व 09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|------------------------|---|-------|
| 1. डॉ. जी. के. पाठक | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती दीप्ति पाठक | — | पत्नी |
| 3. श्री शशांक पाठक | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जी. के. पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2019 को निरस्त करते हुए, श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेन्ज जबलपुर को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेन्ज जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)197-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल (पूर्व), जेल मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 से 24 जून 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में गंगटोक एवं कोलकाता (उत्तर पूर्व) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. जी. आर. मीणा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती निर्मला मीणा | — | पत्नी |
| 3. कु. खुशबू मीणा | — | पुत्री |
| 4. श्री श्रेयस मीणा | — | पुत्र |
| 5. श्री अक्षत मीणा | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल (पूर्व), जेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जी. आर. मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)3159 (मेरिट क्र. 97).—राज्य शासन, श्री गोपाल जाटव पुत्र श्री जयराम जाटव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1993 है।

भोपाल, दिनांक 17 जून 2019

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)3266 (सामान्य प्रतीक्षा सूची क्रमांक 01).—राज्य शासन, सुश्री उपमा भार्गव पुत्री श्री दिनेश नारायण भार्गव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 11 नवम्बर 1984 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 30th May 2019

No. F-5-24 (9-4)2008-XXIX-2.—The Ex-India Leave of Justice Shantanu S. Kemkar, President, Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhopal is hereby sanctioned from 13th August 2019 to 24th August 2019, (including the public holidays i.e. 9th, 10th, 11th, 12th and 25th August 2019).

This order is issued with the approval of the Competent Authority.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. 741-442-2019-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स सासन पॉवर लि., सासन, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4946 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 10 मई 2019 से 9 अगस्त 2019 तक की छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलकट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

उक्त आदेश को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव,
जिला-होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 29 मई 2019

पत्र क्र. सां.लि.-2019.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस)
विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2 (क) 9-08-बी-3-दो, दिनांक 30
जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के
निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा नये चौकी शोभापुर (थाना-सोहागपुर) जिला
होशंगाबाद की स्थापना हेतु 01 सउन, 08 आरक्षक कुल पदों के
सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन चौकी शोभापुर होशंगाबाद
हेतु प्रेषित स्वीकृत प्रस्ताव में निम्नानुसार ग्रामों/क्षेत्रों (वार्डों) को
शामिल किया गया है:—

क्रमांक (1)	सम्मिलित ग्रामों के नाम (2)
1	शोभापुर
2	उटिया शंकर
3	गुरारी
4	आंटाश्री
5	बरेली
6	खिमारा
7	खिड़िया
8	महुँआखेडा कलां
9	भटगाँव
10	मदनपुर
11	गलचा
12	भानपुर
13	पालाखेड़ी
14	तालाखेड़ी
15	भट्टी
16	निवारी
17	काजलखेड़ी
18	ढिकवाड़ा
19	अंजेरा
20	माछा
21	बैगनिया
22	पाँजरा

(1)	(2)
23	छिरमटा
24	मोकलवाडी
25	बढैयाखेडी
26	चंदेरी
27	अजनेरी
28	भौखेडी खुर्द
29	रानी पिपरिया
30	रनमौथा
31	तिघडा
32	बरूआढाना
33	रैपुरा
34	मरकाढाना
35	गजनई
36	परसाई पिपरिया
37	चौंदीखेड़ी
38	साँकला
39	बरबटपुर
40	धूरखेड़ी
41	बढैयाखेडी
42	कुसीखापा
43	साँथर

शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एस.टी.-2019.—इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी
किये गये आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर उप जिला निर्वाचन
अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन का प्रभार श्री कामेश्वर चौबे, संयुक्त
कलेक्टर के स्थान पर श्रीमती रानी बाटड़, अपर कलेक्टर को सौंपा
जाता है. शेष कार्य विभाजन यथावत् रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. एफ 1-7-2018-रा.स.-यू.ए.1-1382.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, एतद्द्वारा, प्रो. टी. आर. थापक, प्रोफेसर, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (पूर्व अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन
सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

क्र. C-2333.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (मध्यप्रदेश सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (मध्यप्रदेश सीरीज) की अतिरिक्त उपलब्ध एक प्रति का मूल्य 100/- रुपये (सौ रुपये) एवं वार्षिक अभिदान 1200/- रुपये (एक हजार दो सौ रुपये) निर्धारित करता है. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2019 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, नियंत्रक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला, भोपाल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. 0001-अ-82-2017-18.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है.

प्रकरण क्र. 0001-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का संभावना हो गयी है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में रामगंज मण्डी से भोपाल बड़ी रेल में तहसील हुजूर, जिला भोपाल के ग्राम भैंसाखेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	भैंसाखेड़ी	6.390	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे, कोटा.	रामगंज मण्डी नई बड़ी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन.

अनुसूची 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र. (1)	भूमि स्वामी का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल रकबा (4)	प्रभावित रकबा (5)
1	शफीक मों. खॉ आ. चाँद खॉ	5/1/4/1	2.023	0.475
2	जवाहर लाल आ. चिमनलाल मूलचन्दानी, जयप्रकाश आ. भूरोमल आसवानी.	5/1/4/2	1.720	0.598
3	कमलेश आ. बटनलाल	8	2.833	0.868
4	सीताराम आ. जगन्नाथ	7/2/3	1.614	0.348
5	सुरेश आ. जगन्नाथ	7/2/2	2.073	0.687
6	रामगोपाल आ. जुगराम	7/2/1	0.809	0.039
7	संजय, जितेन्द्र, दिनेश, उमा. नेवर पुत्र/पुत्रियां राधेश्याम माहेश्वरी.	7/1	1.619	0.407
8	जावेद खान आ. अजीज खान	13/1	1.008	0.283
9	जफर खान आ. अजीज खान	13/2	0.340	0.328
10	जफर खान आ. अजीज खान	12/2	0.668	0.097
11	रामगोपाल आ. जुगराम	14/2	4.501	0.816
12	ओमप्रकाश आ. इमरतलाल	14/3ख	0.712	0.018
13	रामगोपाल आ. जुगराम	15/1	0.437	0.311
14	ओमप्रकाश आ. इमरतलाल	15/2	0.219	0.137
15	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. कैलाश साहू, तीरथ, विशाल, ना. बा. पुत्रगण कैलाश साहू, संरक्षक मां लक्ष्मीबाई.	15/3, 16	0.793	0.598
16		18/1	0.162	0.050
17	श्रीमती दशरथ बाई पत्नी दीवार सिंह	19/1/1	0.809	0.061
किता-2			0.971	0.111
18.1	रामआश्रय शर्मा दीपचन्द शर्मा	9 में से	0.012	0.012
18.2	गिरिराज पाटीदार आत्मज कँवरलाल पाटीदार	9 में से	0.008	0.008
18.3	विक्रम सिंह आत्मज श्याम सिंह रावत	9 में से	0.008	0.008
18.4	बालकृष्ण पाटीदार आत्मज रामकिशन पाटीदार	9 में से	0.038	0.031
18.5	ऋषिराज चौहान आत्मज अशोक चौहान	9 में से	0.009	0.008
18.6	ऋतुराज चौहान आत्मज अशोक चौहान	9 में से	0.009	0.009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.7	राजेन्द्र प्रसाद पंथारी	9 में से	0.011	0.011
18.8	श्रीमती सत्यवती उपाध्याय पत्नी वीरेन्द्रनाथ उपाध्याय	9 में से	0.009	0.009
18.9	मनोज शाह आत्मज बब्बन शाह	9 में से	0.013	0.013
18.10	श्रीमती शशी शुक्ला पत्नी बी. जी. शुक्ला	9 में से	0.012	0.012
18.11	वीरेन्द्र उपाध्याय आत्मज शिवशंकर उपाध्याय	9 में से	0.009	0.009
18.12	श्रीमती चंदासिंह पत्नी निर्भयनारायण सिंह, निर्भय नारायण सिंह आ. सूर्यनाथ सिंह.	9 में से	0.011	0.011
18.13	श्रीमती दुर्गा विश्वकर्मा पत्नी सुनील कुमार विश्वकर्मा	9 में से	0.009	0.006
18.14	श्रीमती प्रेमलता विश्वकर्मा पत्नी अनिल कुमार विश्वकर्मा	9 में से	0.009	0.001
18.15	प्यारेलाल कुशवाह आत्मज देवीदीन कुशवाह	9 में से	0.009	0.001
18.16	दीवान सिंह आत्मज चन्द्रसिंह	9 में से	0.011	0.001
18.17	पुष्पेन्द्र सिंह आत्मज तेजबली सिंह	9 में से	0.013	0.013
18.18	सोहनलाल मस्ताना आत्मज रणसिंह मस्ताना	9 में से	0.007	0.007
18.19	श्रीमती नीलम मस्ताना पत्नी सोहनलाल मस्ताना	9 में से	0.011	0.011
18.20	नरेश, सुरेश पुत्रगण रामकरण पाटीदार	9 में से	0.009	0.009
18.21	देवकरण मालवीय	9 में से	0.011	0.001
18.22	यज्ञनारायण मौर्य आत्मज दयाराम मौर्य	9 में से	0.009	0.007
18.23	सुभद्रा बाई पत्नी कुटलिया	9 में से	0.011	0.011
18.24	भैयालाल पाटीदार आत्मज रामकिशन	9 में से	0.019	0.001
18.25	छोटेराम आत्मज बंशीलाल	9 में से	0.514	0.059

योग . .	—	0.791	0.269
कुल	किता-18	23.131	6.390

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त, पुराना जिला पंचायत भवन, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

समुचित सरकार की वेबसाइट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक एफ-25-64/2019/10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), के अध्याय 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-29 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे। यह वनखण्ड N 23°20'56" से N 23°21'46" उत्तर अक्षांश तथा E 79°10'18" से E 79°10'56" पूर्व देशांश के बीच स्थिति है।

अनुसूची

जिला - सागर

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

तहसील - देवरी

वन परिक्षेत्र - नौरादेही

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	भड़रा	नौरादेही	निजी भूमि	23	0.180	उत्तर - पी.एफ. 68 के मुनारा क्रमांक 3 से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 253 की प्राकृतिक नाला की वन सीमा तक। पूर्व - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 253 की प्राकृतिक नाला सीमा से होते हुये वन कक्ष क्रमांक आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 275 प्राकृतिक नाला सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 की प्राकृतिक सीमा लाईन तक की वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 279 की सीमा की प्राकृतिक नाला से आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 के मुनारा क्रमांक 14 तक की वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 280 की सीमा के मुनारा क्रमांक 14 से आर.एफ. 274 के मुनारा क्रमांक 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से पी.एफ. 68 के मुनारा क्रमांक 3 तक की वनसीमा।
				52/2	0.130	
				53/2	0.350	
				71/4	0.420	
				84/3	0.310	
2				7/4	0.100	
3				31	0.210	
4				12/117	0.120	
				13/117	0.120	
				54	0.320	
				79	0.100	
				83/120	0.180	
	91/119	0.160				
	93	0.160				
	97/121	0.600				
5	109	0.300				
6	94	0.300				
7	77	0.130				
	78	0.500				
8	65	0.140				
	68	0.310				
	72	0.250				
9	107	0.110				
10	40	0.220				
11	7/2	0.090				
12	3/2	1.250				

13				102/2	0.290
				108/2	0.160
14				102/1	0.290
				108/1	0.150
15				14	0.220
				73	0.850
				75	0.170
16				60	0.350
				111	1.500
17				3/1	0.400
18				43	0.170
19				7/1	0.280
20				57	0.120
21				59	0.280
				106	1.210
22				16	0.050
				18/1	0.030
				71/1	0.350
				84/1	0.160
23				85	0.130
24				33	0.190
25				9	0.030
26				18/2	0.080
				71/2	0.350
				84/2	0.160
27				11	0.280
				67	0.140
				69	0.410
				74	0.290
				82	0.190
28				18/3	0.080
				52/1	0.500
				70/1	0.280
				87/1	0.250
29				56	0.210
				92	0.360
				98	0.300
30				7/3	0.090
31				70/2	0.550
				87/3	0.250
				100	0.190
32				10	0.030
				12	0.080
				13	0.150
				76	0.100
				81	0.210
				83	0.120
				91	0.160
				93/116	0.180
				97	0.630
33				32	0.250
34				80	0.220
				86	0.130

35				102/3	0.300	
				108/3	0.160	
36				48	2.620	
37				20	0.280	
				21	2.350	
38				24	0.160	
				34	0.120	
				39	0.080	
				53/1	0.480	
				71/3	0.970	
				84/4	0.310	
				78/2	0.250	
39				27	0.180	
				45	0.280	
				49	0.810	
				88	0.720	
				110	0.970	
				112	0.400	
				114	0.340	
40				46	1.930	
				47	0.500	
41				28	0.220	
				29	2.350	
42				25	0.060	
				44	0.190	
				66	0.100	
				99	0.850	
				113	0.950	
43				3/3	1.250	
				15	0.270	
				17	0.020	
				55	0.090	
				95	0.240	
				96	0.520	
44				22	0.250	
				89	0.400	
				90	0.390	
				101	0.260	
				115	1.700	
				योग :-	45.980	✓
			शासकीय भूमि			
1			नदी	1	2.200	
2			वृक्षकुंज	2	35.720	
3			वृक्षकुंज	4	21.640	
4			चरनोई	5	0.400	
5			आबादी गाँवठान	6	0.400	
6			रास्ता	8	0.410	
7			वृक्षकुंज	19	0.070	
8			आबादी गाँवठान	26	0.470	
9			रास्ता	30	0.310	
10			आबादी गाँवठान	35	0.070	
11			आबादी गाँवठान	36	0.020	
12			रास्ता	37	0.040	

13		आबादी गोंवठान	38	0.080
14		चरनोई	41	0.030
15		चरनोई	42	0.030
16		चरनोई	50	0.080
17		चरनोई	51	0.280
18		आबादी गोंवठान	58	0.080
19		रास्ता	61	0.290
20		चरनोई	62	0.085
21		चरनोई	63	0.270
22		नदी	64	3.690
23		चरनोई	103	0.560
24		चरनोई	104	0.170
25		चरनोई	105	3.300
			योग :-	70.695
			महायोग :-	116.675

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 में प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में नौरादेही राजस्व ग्राम की 45.980 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 70.695 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 116.675 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त।
2. अन्य कारणों का विवरण - अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वनभूमि घोषित करने बावत्।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

एफ-25-64-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-64-2017-दस-3, दिनांक 18 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 18th June 2019

No. F-25-64/2019/10-3 in exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforesaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such land shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by State Government from time to time. This forest block lies in between N 23°20'56" to N 23°21'46" North Latitude and E 79°10'18" to E 79°10'56" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar

Tehsil : - Deori

Forest Division :- Nauradehi (WL) Division, Sagar

Forest Range :- Noradehi

S.No.	Detail of Land Included					Forest Blocak Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Bhadra	Noradehi	Parsonal	23	0.180	North :- Protected forest comptt. no. 68 Munara No. 3 to Reserve Forest Comptt. No. 253 Natural Nala Forest Boundary. East :- Reserve Forest Comptt. No. 253 Natural Nala boundary to Compt. No. 275 Natural Nala boundary and Compt. No. RF 279 Natural Nala boundary. South :- Reserve Forest Comptt. No. 279 Natural Nala Boundary. Reserve Forest Comptt. No. 280 Munara No. 14 Forest Boundary. West :- Reserve Forest Comptt. No. 280 Munara No. 14 and Reserve Forest Comptt. No. 274 Munara No. 12 to Protected Forest No. 68 Munara No. 3 Forest Boundary.
				52/2	0.130	
				53/2	0.350	
				71/4	0.420	
				84/3	0.310	
2				7/4	0.100	
3				31	0.210	
4				12/117	0.120	
				13/117	0.120	
				54	0.320	
				79	0.100	
				83/120	0.180	
				91/119	0.160	
				93	0.160	
	97/121	0.600				
5	109	0.300				
6	94	0.300				
7	77	0.130				
	78	0.500				
8	65	0.140				
	68	0.310				
	72	0.250				
9	107	0.110				
10	40	0.220				
11	7/2	0.090				
12	3/2	1.250				
13	102/2	0.290				
	108/2	0.160				
14	102/1	0.290				
	108/1	0.150				

15				14	0.220
				73	0.850
				75	0.170
16				60	0.350
				111	1.500
17				3/1	0.400
18				43	0.170
19				7/1	0.280
20				57	0.120
21				59	0.280
				106	1.210
22				16	0.050
				18/1	0.030
				71/1	0.350
				84/1	0.160
23				85	0.130
24				33	0.190
25				9	0.030
26				18/2	0.080
				71/2	0.350
				84/2	0.160
27				11	0.280
				67	0.140
				69	0.410
				74	0.290
				82	0.190
28				18/3	0.080
				52/1	0.500
				70/1	0.280
				87/1	0.250
29				56	0.210
				92	0.360
				98	0.300
30				7/3	0.090
31				70/2	0.550
				87/3	0.250
				100	0.190
32				10	0.030
				12	0.080
				13	0.150
				76	0.100
				81	0.210
				83	0.120
				91	0.160
				93/116	0.180
				97	0.630
33				32	0.250
34				80	0.220
				86	0.130
35				102/3	0.300
				108/3	0.160

				48	2.620
37				20	0.280
				21	2.350
38				24	0.160
				34	0.120
				39	0.080
				53/1	0.480
				71/3	0.970
				84/4	0.310
				78/2	0.250
39				27	0.180
				45	0.280
				49	0.810
				88	0.720
				110	0.970
				112	0.400
				114	0.340
40				46	1.930
				47	0.500
41				28	0.220
				29	2.350
42				25	0.060
				44	0.190
				66	0.100
				99	0.850
				113	0.950
43				3/3	1.250
				15	0.270
				17	0.020
				55	0.090
				95	0.240
				96	0.520
44				22	0.250
				89	0.400
				90	0.390
				101	0.260
				115	1.700
				Total :-	45.980
			Govt. Revenue Land		
1			नदी	1	2.200
2			वृक्षकुंज	2	35.720
3			वृक्षकुंज	4	21.640
4			चरनोई	5	0.400
5			आबादी गाँवठान	6	0.400
6			रास्ता	8	0.410
7			वृक्षकुंज	19	0.070
8			आबादी गाँवठान	26	0.470
9			रास्ता	30	0.310
10			आबादी गाँवठान	35	0.070
11			आबादी गाँवठान	36	0.020
12			रास्ता	37	0.040
13			आबादी गाँवठान	38	0.080

		चरनोई	41	0.030	
15		चरनोई	42	0.030	
16		चरनोई	50	0.080	
17		चरनोई	51	0.280	
18		आबादी गोंवठान	58	0.080	
19		रास्ता	61	0.290	
20		चरनोई	62	0.085	
21		चरनोई	63	0.270	
22		नदी	64	3.690	
23		चरनोई	103	0.560	
24		चरनोई	104	0.170	
25		चरनोई	105	3.300	
			Total:-	70.695	
			Grant Total:-	116.675	

(A) Basis for Publication of Notification :-

1- According to provision of option-1 in memo No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralay Vallabh Bhawan, Bhopal. 45.980 hectare of Private land and 70.695 hectare of Government land, total area, 116.675 hectare of the Nauradehi revenue village has been received from the Revenue Department under Villages Relocation from Protected Areas scheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar, by Forest Department Madhya Pradesh Government.

2- Details of the other Description :- Private Revenue Land and Government Revenue Land Received of Nauradehi Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctuary to be declared as Protected forest.

(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori, Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under.

1- Individual Rights- Nil

2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ-25-63/2019/10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे। यह वनखण्ड N 23°22'19" से N 23°23'09" उत्तर अक्षांश तथा E 79°09'06" से E 79°09'59" पूर्व देशांश के बीच स्थिति है।

अनुसूची

जिला - सागर

तहसील - देवरी

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र - नौरादेही

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	भड़रा	कुशायारी	निजी भूमि	111	0.420	उत्तर - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 255 की सीमा के मुनारा क्रमांक 47 से 55 एवं बमनेर नदी से लगी आरक्षित वनकक्ष क्र. -250 से होते हुये आरक्षित वन कक्ष क्र. 251 की सीमा के मुनारा क्र. 1 तक की वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 251 की सीमा के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वनकक्ष क्र.-251 के मुनारा क्रमांक 15 तक एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 252 के मुनारा क्रमांक 16 से 21 तक की वन सीमा। दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 254 की सीमा के मुनारा क्रमांक 21 से आरक्षित वनकक्ष क्र.-254 की सीमा के मुनारा क्र. -30 तक की वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 254 की सीमा के मुनारा क्र.- 30 से आरक्षित वनकक्ष क्र. -256 की प्राकृतिक सीमा लाईन से होते हुये वन कक्ष क्रमांक 255 के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 47 तक की वन सीमा।
2				47	0.340	
3				50	0.130	
4				22	1.240	
5				71	0.120	
6				73	0.390	
7				107	0.180	
8				16/2	0.750	
9				15/1	0.090	
10				14	0.110	
11				26	0.600	
12				27	0.200	
13				58	0.400	
		42	0.330			
		75	1.130			
		112	0.100			
		113	0.120			
		52/1	0.330			
		40	0.470			
		44	0.340			
		24/2	0.220			
		59/2	0.100			
		67/2	0.020			
		94/2	0.590			
		109/2	0.140			

14				110	0.300
15				43/1	0.020
16				16/1	0.750
				19/1	0.600
17				13	0.090
				17	0.830
				78	0.600
				80	0.150
18				41	0.720
				130	0.210
19				106	0.100
20				24/1	0.230
				59/1	0.100
				67/1	0.020
21				52/2	0.170
				123	0.030
22				88	0.150
				115	0.080
				116	0.140
23				43/2	0.300
				104	0.430
24				54	0.270
25				21	0.350
26				82	0.540
27				118/2	0.140
28				127	0.230
				128	0.180
29				30	0.230
				49	0.300
30				31	0.610
				32	0.250
31				79	0.830
				81	0.340
32				92	0.120
				94/1	1.360
				98	0.370
33				77	0.530
				86	0.300
				90	0.080
				100	0.020
34				4	1.400
				85	0.390
35				101	0.200
36				38	1.050
				83	0.090
				105	0.300

37				45	0.520
38				48	0.380
				120	0.920
				121	0.100
				126	0.050
39					
40				118/1	0.060
41				122	0.370
42				109/1	0.590
43				99	0.250
44				12	0.830
				57	0.380
45				15/2	0.060
				19/2	0.340
46				3	1.580
47				2	1.550
48				66	0.450
				70	0.140
49				37	0.230
				39	1.070
50				74	0.280
51				8/2	0.520
				9/2	4.320
				20/2	1.230
				56/2	0.140
				69/2	0.100
				76/2	0.630
52				96	1.230
				97	0.460
				119	0.520
53				33	3.210
				35	3.360
				36	1.020
				46	0.600
				53	0.150
				117	0.240
54				5	4.320
55				8/1	0.530
				9/1	3.520
				20/1	1.220
				28	0.040
				56/1	0.150
				69/1	0.100
56				76/1	0.620
				18	6.330
				योग :-	70.070
			शासकीय भूमि		
1			वृक्षकुंज	1	7.440
2			वृक्षकुंज	6	5.850
3			वृक्षकुंज	7	1.900
4			वृक्षकुंज	10	36.010
5			चरनोई	11	4.980
6			वृक्षकुंज	23/1	13.580

7		आबादी गाँवठान	23/2	0.400
8		चरनोई	25	0.500
9		चरनोई	29	4.220
10		रास्ता	34	0.130
11		चरनोई	51	0.500
12		आबादी गाँवठान	55	0.050
13		वृक्षकुज	60	0.260
14		चरनोई	61	0.500
15		रास्ता	62	0.230
16		चरनोई	63	0.330
17		चरनोई	64	0.120
18		आबादी गाँवठान	65	0.500
19		आबादी गाँवठान	68	0.080
20		रास्ता	72	0.060
21		रास्ता	84	0.060
22		चरनोई	87	0.070
23		चरनोई	89	0.160
24		रास्ता	91	0.060
25		चरनोई	23	5.010
26		भू-जल	93/136	0.410
27		वृक्षकुज	95	0.720
28		रास्ता	102	0.040
29		रास्ता	103	0.060
30		आबादी गाँवठान	108	0.240
31		आबादी गाँवठान	114	0.070
32		रास्ता	124	0.180
33		वृक्षकुज	125	0.190
34		आबादी गाँवठान	129	0.080
35		चरनोई	131	0.080
36		चरनोई	132	0.050
37		वृक्षकुज	133	0.150
38		चरनोई	134	0.400
39		वृक्षकुज	135	8.700
		योग :-		94.370
		महायोग :-		164.440

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत ग्रामों का विस्थापन योजना में प्राप्त कुल 70.070 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि 94.370 हेक्टेयर कुल रकबा 164.440 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में प्राप्त।
2. अन्य कारणों का विवरण - अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को वनभूमि घोषित करने बावत्।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-63-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-63-2017-दस-3, दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2019

No. F-25-63/2019/10-3 in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as to N 23°22'19" to N 23°23'09" North Latitude E 79°09'06"E to E 79°09'59" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar

Tehsil : - Deori

Forest Division :- Nauradehi (WL) Division, Sagar

Forest Range :- Noradehi

S.No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Bhadra	Kushyari	Parsonal	111	0.420	North :- Reserve Forest Comptt. No. 255 boundary Munara no. 47 to 55 Bamner River border to Reserve Forest Comptt. No. 250 and Reserve Forest No. 251 boundary Munara No. 1 Forest boundary. East :- Reserve Forest Comptt. No. 251 boundary Munara No. 1 to Reserve Forest Comptt. No. 251 boundary ;Munara No. 15 and Reserve Forest 252 Munara No. 16 to Munara No. 21 Forest boundary. South :- Reserve Forest Comptt. No. 254 boundary Munara no. 21 to Reserve Forest Comptt. No. 254 boundary Munara No. 30 Forest boundary. West :- Reserve Forest Comptt. No. 254 Munara No. 30 to Reserve Forest Comptt. No. 256 Natural Nala boundary to Munara No. 31 to 47 Forest boundary.
2				47	0.340	
				50	0.130	
3				22	1.240	
4				71	0.120	
				73	0.390	
5				107	0.180	
6				16/2	0.750	
7				15/1	0.090	
8				14	0.110	
				26	0.600	
				27	0.200	
				58	0.400	
9				42	0.330	
				75	1.130	
	112	0.100				
	113	0.120				
10	52/1	0.330				
11	40	0.470				
	44	0.340				
12	24/2	0.220				
	59/2	0.100				
	67/2	0.020				
13	94/2	0.590				
	109/2	0.140				
14	110	0.300				
15	43/1	0.020				

16				16/1	0.750
				19/1	0.600
17				13	0.090
				17	0.830
				78	0.600
				80	0.150
18				41	0.720
				130	0.210
19				106	0.100
20				24/1	0.230
				59/1	0.100
				67/1	0.020
21				52/2	0.170
				123	0.030
22				88	0.150
				115	0.080
				116	0.140
23				43/2	0.300
				104	0.430
24				54	0.270
25				21	0.350
26				82	0.540
27				118/2	0.140
28				127	0.230
				128	0.180
29				30	0.230
				49	0.300
30				31	0.610
				32	0.250
31				79	0.830
				81	0.340
32				92	0.120
				94/1	1.360
				98	0.370
33				77	0.530
				86	0.300
				90	0.080
				100	0.020
34				4	1.400
				85	0.390
35				101	0.200
36				38	1.050
				83	0.090
				105	0.300
37				45	0.520

38				48	0.380
				120	0.920
				121	0.100
39				126	0.050
40				118/1	0.060
41				122	0.370
42				109/1	0.590
43				99	0.250
44				12	0.830
				57	0.380
45				15/2	0.060
				19/2	0.340
46				3	1.580
47				2	1.550
48				66	0.450
				70	0.140
49				37	0.230
				39	1.070
50				74	0.280
51				8/2	0.520
				9/2	4.320
				20/2	1.230
				56/2	0.140
				69/2	0.100
				76/2	0.630
52				96	1.230
				97	0.460
				119	0.520
53				33	3.210
				35	3.360
				36	1.020
				46	0.600
				53	0.150
				117	0.240
54				5	4.320
55				8/1	0.530
				9/1	3.520
				20/1	1.220
				28	0.040
				56/1	0.150
				69/1	0.100
				76/1	0.620
56				18	6.330
				Total :-	70.070
			Govt. Revenue		
			Land		
1			वृक्षकुंज	1	7.440
2			वृक्षकुंज	6	5.850
3			वृक्षकुंज	7	1.900
4			वृक्षकुंज	10	36.010
5			चरनोई	11	4.980
6			वृक्षकुंज	23/1	13.580
7			आबादी गांवठान	23/2	0.400

8		चरनोई	25	0.500
9		चरनोई	29	4.220
10		रास्ता	34	0.130
11		चरनोई	51	0.500
12		आबादी गाँवठान	55	0.050
13		वृक्षकुज	60	0.260
14		चरनोई	61	0.500
15		रास्ता	62	0.230
16		चरनोई	63	0.330
17		चरनोई	64	0.120
18		आबादी गाँवठान	65	0.500
19		आबादी गाँवठान	68	0.080
20		रास्ता	72	0.060
21		रास्ता	84	0.060
22		चरनोई	87	0.070
23		चरनोई	89	0.160
24		रास्ता	91	0.060
25		चरनोई	23	5.010
26		भू-जल	93/136	0.410
27		वृक्षकुज	95	0.720
28		रास्ता	102	0.040
29		रास्ता	103	0.060
30		आबादी गाँवठान	108	0.240
31		आबादी गाँवठान	114	0.070
32		रास्ता	124	0.180
33		वृक्षकुज	125	0.190
34		आबादी गाँवठान	129	0.080
35		चरनोई	131	0.080
36		चरनोई	132	0.050
37		वृक्षकुज	133	0.150
38		चरनोई	134	0.400
39		वृक्षकुज	135	8.700
			Total :-	94.370
			Grant Total :-	164.440

(A) Basis for Publication of Notification :-

1- Madhya Pradesh Government, Forest Department, Ministry, Ballabh Bhawan, Bhopal Order No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 According to the Nou imposed condition, forest land under the sanctioned Project of Relocation Project (Name of Project) In Nauradehi (WL) Division, Sagar (Name of User Department/Agency/Person), 70.070 hectare of Personal land and government revenue land received in 94.370 hectare of total area, 164.440 hectare Madhya Pradesh government in favor of Forest Department get.

2- Details of the other Description :- Personal Land and Government Land Received From Revenue Village Relocation in Nauradehi Sanctuary.

~(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori, Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under.

1- Individual Rights- Nill

2- Community Rights - Nill

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ-25-61/2019/10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), के अध्याय 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-29 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे। यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश 23°26'6.5"N से 23°27'15"N तथा पूर्व देशांश 79°10'59"E से 79°11'59"E के बीच स्थिति है।

अनुसूची

जिला - सागर

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

तहसील - देवरी

वन परिक्षेत्र - सिंगपुर

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मोहली	पीपला	निजी भूमि	107/1	0.670	उत्तर - आरक्षित वन कक्ष क्र. 228 की सीमा के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक 1 तक की वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 228 की सीमा के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वन कक्ष क्र.-227 की सीमा के मुनारा क्रमांक 11 तक की वनसीमा। दक्षिण - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 227 की सीमा एवं बमनेर नदी की सीमा से होते हुये आरक्षित वन कक्ष क्र.-270 की सीमा के मुनारा क्रमांक 12 तक की वनसीमा। पश्चिम - आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 231 के सीमा के मुनारा क्रमांक 12 से आरक्षित वन कक्ष क्र.-230 की सीमा के मुनारा क्रमांक 15 से आरक्षित वनकक्ष क्र. 228 के मुनारा क्र. 24 तक की वनसीमा।
2				193	0.850	
3				184/3	1.600	
4				1	0.060	
5				35	0.110	
6				128	1.070	
7				168	0.200	
8				137/1	0.280	
9				152/2	0.070	
10				171/3	0.850	
11				111	0.310	
12				16	0.910	
13				108	0.380	
14				172/3	0.400	
15				54	0.750	
16				135/4	0.100	
	156/4	0.160				
	162/3	0.300				
	163/2	0.100				
	164/4	0.2p00				
	166/4	0.400				
	191/1	0.650				
	164/6	0.200				
	107/2	0.240				
	71	0.120				
	114	0.630				

46				11	0.600
47				34	0.260
48				39	0.020
49				161	0.590
				135/1	0.110
				151/1	0.100
				156/1	0.160
				162/1	0.300
				163/1	0.050
				164/1	0.200
				166/1	0.400
				171/1	0.090
50				40	0.140
				106	0.440
				175	0.430
51				52	0.110
				79	0.420
52				59/2	0.180
53				145	0.370
				157	0.770
54				76	0.600
55				31	0.140
56				26/2	0.070
				57/2	0.150
				75/2	0.950
57				135/2	0.100
				151/2	0.250
				156/2	0.160
				162/2	0.410
				164/2	0.200
				166/2	0.330
				170	0.090
				171/2	0.090
58				142	0.420
59				172/2	0.740
60				138	1.320
61				135/3	0.110
				147	0.130
				148	0.070
				156/3	0.160
				164/3	0.510
				166/3	0.400
62				48	0.970
				82	0.160
63				67	0.590
64				37	0.450
				66	0.090
				77	0.550
				87/2	0.570
				184/2	1.370
65				101	0.420
				119	1.630
				130	0.230

17				135/5	0.100
				152/1	0.150
				154	0.090
				156/5	0.080
				162/4	0.300
				164/5	0.200
				166/5	0.400
18				149	0.110
				87/1	0.400
				184/1	1.000
19				125/2	1.830
20				91	1.340
				194	0.440
21				21	0.850
22				144	0.530
23				80/2	0.400
				191/2	0.320
24				172/1	0.400
25				58	0.190
26				95	0.680
27				183/1	0.550
28				173	0.060
29				72	0.230
30				26/1	0.080
				57/1	0.140
				75/1	0.950
31				185/2	0.500
32				113	0.660
33				94	0.170
34				23	0.210
				83	0.350
35				105	0.930
36				137/2	0.280
				152/2	0.070
				171/4	0.850
37				183/2	0.550
38				14	0.280
				85	1.160
39				43	0.170
				99	0.920
				124	0.850
40				127/1	0.500
41				69	0.270
42				68	0.190
				73	0.990
				185/1	0.510
43				41	0.260
				61	0.140
				176	1.110
44				117	1.170
45				13	0.210
				109	0.230
				122	0.140
				190	0.560

66			25	0.360
			125/1	1.830
			160	0.810
67			22	1.580
			30	0.220
			80/1	0.850
68			29	0.200
			88	0.480
			92	0.880
			182	0.980
69			38	0.110
			86	0.380
			96	1.040
			188	0.730
70			112	0.610
			123	1.730
			143	0.320
71			110	0.500
			126	2.360
72			24	0.160
			84	0.360
			89	0.630
			178	0.660
			180	3.410
73			65	0.200
			97	3.500
			181	1.130
74			33	0.120
			78	0.610
			93	2.180
75			51	0.130
			121	2.460
76			90	0.650
			195	1.480
77			127/2	0.770
			167	1.530
78			2	0.050
			12	0.930
			56	0.330
			59/1	0.180
			104	0.730
79			44	0.430
			81	0.320
			192	1.460
			योग :-	98.210
			शासकीय भूमि	
1			आबादी (गाँवठान)	3
2			चरनोई	4
3			रास्ता	5
4			वृक्षकुंज	6
5			रास्ता	7
6			वृक्षकुंज	8
7			रास्ता	9
8			वृक्षकुंज	10

9		आबादी (गाँवठान)	15	0.150
10		चरनोई	17	0.260
11		रास्ता	18	0.400
12		चरनोई	19	1.420
13		चरनोई	20	1.080
14		रास्ता	27	0.040
15		आबादी (गाँवठान)	28	0.070
16		आबादी (गाँवठान)	32	0.130
17		रास्ता	36	0.090
18		आबादी (गाँवठान)	42	1.000
19		आबादी (गाँवठान)	45	0.090
20		चरनोई	46	0.100
21		रास्ता	47	0.290
22		आबादी (गाँवठान)	50	0.050
23		चरनोई	53	0.380
24		रास्ता	55	0.190
25		रास्ता	60	0.080
26		आबादी (गाँवठान)	62	0.070
27		रास्ता	63	0.070
28		रास्ता	64	0.150
29		चरनोई	70	0.080
30		वृक्षकुंज	74	11.760
31		चरनोई	18	1.590
32		वृक्षकुंज	100	32.800
33		भू-जल	102	1.670
34		चरनोई	103	0.150
35		रास्ता	115	0.640
36		वृक्षकुंज	116	10.000
37		-	118	7.060
38		रास्ता	120	0.400
39		रास्ता	129	0.090
40		रास्ता	131	0.110
41		चरनोई	132	0.210
42		रास्ता	133	0.110
43		भू-जल	134	0.120
44		रास्ता	136	0.140
45		भू-जल	139	0.290
46		चरनोई	140	0.270
47		रास्ता	141	0.070
48		चरनोई	146	0.110
49		आबादी (गाँवठान)	149	0.090
50		रास्ता	150	0.030
51		चरनोई	153	3.820
52		भू-जल	155	0.130
53		आबादी (गाँवठान)	158	0.540
54		रास्ता	159	0.130
55		भू-जल	165	0.470
56		रास्ता	169	0.330
57		भू-जल	174	1.500
58		भू-जल	177	0.510

59		भू-जल	179	0.180	
60		भू-जल	186	0.520	
61		भू-जल	187	0.400	
62		भू-जल	189	0.430	
63		भू-जल	196	7.210	
			योग :-	96.290	
			महायोग :-	194.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 के प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में पीपला राजस्व ग्राम की 98.210 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 96.290 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 194.500 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त।
2. अन्य कारणों का विवरण - अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वन भूमि घोषित करने बावत्।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-61-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-61-2017-दस-3, दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2019

No. F-25-61/2019/10-3 in exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforesaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by State Government from time to time. This forest block lies in between North Latitude 23°26'6.5"N to 23°27'15"N and East Longitude 79°10'59"E to 79°11'59"E.

SCHEDULE

District - Sagar

Tehsil : - Deori

Forest Division :- Nauradehi (WL) Division, Sagar

Forest Range :- Singpur

S.No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Mohli	Peepla	Personal	107/1	0.670	North :- Reserve Forest Comptt. No. 228 boundary pillar No. 24 to pillar No. 01. East :- Reserve Forest Comptt. No. 228 Boundary Pillar No. 01 to Reserve Forest Comptt. No. 227 Pillar No. 11 Forest Boundary. South :- Reserve Forest Comptt. No. 227 Boundary via to banner river Reserve Forest Comptt. no. 270 Pillar No. 12 Forest Boundary. West :- Reserve Forest Comptt. No. 231 Forest Boundary Pillar No. 12 & Reserve Forest Comptt. No. 230 Pillar No. 12 & Reserve Forest Comptt. No. 230 pillar no. 15 to Reserve Forest Comptt. no. 228 pillar no. 24.
2				193	0.850	
3				184/3	1.600	
4				1	0.060	
5				35	0.110	
6				128	1.070	
7				168	0.200	
8				137/1	0.280	
9				152/2	0.070	
10				171/3	0.850	
11				111	0.310	
12				16	0.910	
13				108	0.380	
14				172/3	0.400	
15				54	0.750	
16				135/4	0.100	
17				156/4	0.160	
	162/3	0.300				
	163/2	0.100				
	164/4	0.200				
	166/4	0.400				
	191/1	0.650				
	164/6	0.200				
	107/2	0.240				
	71	0.120				
	114	0.630				
	135/5	0.100				
	152/1	0.150				
	154	0.090				
	156/5	0.080				
	162/4	0.300				
	164/5	0.200				
	166/5	0.400				

18				149	0.110
				87/1	0.400
				184/1	1.000
19				125/2	1.830
20				91	1.340
				194	0.440
21				21	0.850
22				144	0.530
23				80/2	0.400
				191/2	0.320
24				172/1	0.400
25				58	0.190
26				95	0.680
27				183/1	0.550
28				173	0.060
29				72	0.230
30				26/1	0.080
				57/1	0.140
				75/1	0.950
31				185/2	0.500
32				113	0.660
33				94	0.170
34				23	0.210
				83	0.350
35				105	0.930
36				137/2	0.280
				152/2	0.070
				171/4	0.850
37				183/2	0.550
38				14	0.280
				85	1.160
39				43	0.170
				99	0.920
				124	0.850
40				127/1	0.500
41				69	0.270
42				68	0.190
				73	0.990
				185/1	0.510
43				41	0.260
				61	0.140
				176	1.110
44				117	1.170
45				13	0.210
				109	0.230
				122	0.140
				190	0.560
46				11	0.600
47				34	0.260
48				39	0.020
				161	0.590

49	135/1	0.110
	151/1	0.100
	156/1	0.160
	162/1	0.300
	163/1	0.050
	164/1	0.200
	166/1	0.400
	171/1	0.090
50	40	0.140
	106	0.440
	175	0.430
51	52	0.110
	79	0.420
52	59/2	0.180
53	145	0.370
	157	0.770
54	76	0.600
55	31	0.140
56	26/2	0.070
	57/2	0.150
	75/2	0.950
57	135/2	0.100
	151/2	0.250
	156/2	0.160
	162/2	0.410
	164/2	0.200
	166/2	0.330
	170	0.090
	171/2	0.090
58	142	0.420
	172/2	0.740
59		
60	138	1.320
61	135/3	0.110
	147	0.130
	148	0.070
	156/3	0.160
	164/3	0.510
	166/3	0.400
62	48	0.970
	82	0.160
63	67	0.590
64	37	0.450
	66	0.090
	77	0.550
	87/2	0.570
	184/2	1.370
65	101	0.420
	119	1.630
	130	0.230
66	25	0.360
	125/1	1.830
	160	0.810

67				22	1.580	
				30	0.220	
				80/1	0.850	
68				29	0.200	
				88	0.480	
				92	0.880	
				182	0.980	
69				38	0.110	
				86	0.380	
				96	1.040	
				188	0.730	
70				112	0.610	
				123	1.730	
				143	0.320	
71				110	0.500	
				126	2.360	
72				24	0.160	
				84	0.360	
				89	0.630	
				178	0.660	
				180	3.410	
73				65	0.200	
				97	3.500	
				181	1.130	
74				33	0.120	
				78	0.610	
				93	2.180	
75				51	0.130	
				121	2.460	
76				90	0.650	
				195	1.480	
77				127/2	0.770	
				167	1.530	
78				2	0.050	
				12	0.930	
				56	0.330	
				59/1	0.180	
				104	0.730	
79				44	0.430	
				81	0.320	
				192	1.460	
				Total :-	98.210	
				Govt. Revenue Land		
1				आबादी (गाँवठान)	3	0.910
2				चरनोई	4	0.660
3				रास्ता	5	0.520
4				वृक्षकुज	6	2.650
5				रास्ता	7	0.260
6				वृक्षकुज	8	0.200
7				रास्ता	9	0.240
8				वृक्षकुज	10	0.780
9				आबादी (गाँवठान)	15	0.150
10				चरनोई	17	0.260

11		रास्ता	18	0.400
12		चरनोई	19	1.420
13		चरनोई	20	1.080
14		रास्ता	27	0.040
15		आबादी (गाँवठान)	28	0.070
16		आबादी (गाँवठान)	32	0.130
17		रास्ता	36	0.090
18		आबादी (गाँवठान)	42	1.000
19		आबादी (गाँवठान)	45	0.090
20		चरनोई	46	0.100
21		रास्ता	47	0.290
22		आबादी (गाँवठान)	50	0.050
23		चरनोई	53	0.380
24		रास्ता	55	0.190
25		रास्ता	60	0.080
26		आबादी (गाँवठान)	62	0.070
27		रास्ता	63	0.070
28		रास्ता	64	0.150
29		चरनोई	70	0.080
30		वृक्षकुंज	74	11.760
31		चरनोई	18	1.590
32		वृक्षकुंज	100	32.800
33		भू-जल	102	1.670
34		चरनोई	103	0.150
35		रास्ता	115	0.640
36		वृक्षकुंज	116	10.000
37		-	118	7.060
38		रास्ता	120	0.400
39		रास्ता	129	0.090
40		रास्ता	131	0.110
41		चरनोई	132	0.210
42		रास्ता	133	0.110
43		भू-जल	134	0.120
44		रास्ता	136	0.140
45		भू-जल	139	0.290
46		चरनोई	140	0.270
47		रास्ता	141	0.070
48		चरनोई	146	0.110
49		आबादी (गाँवठान)	149	0.090
50		रास्ता	150	0.030
51		चरनोई	153	3.820
52		भू-जल	155	0.130
53		आबादी (गाँवठान)	158	0.540
54		रास्ता	159	0.130
55		भू-जल	165	0.470
56		रास्ता	169	0.330
57		भू-जल	174	1.500
58		भू-जल	177	0.510
59		भू-जल	179	0.180
60		भू-जल	186	0.520

61		भू-जल	187	0.400	
62		भू-जल	189	0.430	
63		भू-जल	196	7.210	
			Total:-	96.290	
			Grant total :-	194.500	

(A) Basis for Publication of Notification :-

- 1- According to provision of option-1 in memo No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, 98.210 hectare of Private land 96.290 hectare of government land, total area, 194.500 hectare of the Peepla revenue village has been received from the **Revenue Department** under village Relocation from Protected Areas scheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar, by Forest Department Madhya Pradesh Government.
- 2- Details of the other Description :- Private Revenue Land and Government Revenue Land Recived of Peepla Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctury to be declared as Protected forest.

(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori, Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under.

- 1- Individual Rights- Nil
- 2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

क्रमांक एफ-25-62/2019/10-3 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), के अध्याय 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम धारा 29 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किए जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किए जायेंगे। यह वनखण्ड N 23°23'16" से N 23°24'24" उत्तर अक्षांश तथा E 79°08'10" से E 79°10'25" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - सागर

तहसील - देवरी

वनमंडल - नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर

वन परिक्षेत्र - सिंगपुर

क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	मड़ाज	रमपुरा (मड़ाज)	निजी भूमि	11	0.250	उत्तर - आरक्षित वन कक्ष क्र. 243 की सीमा के मुनारा क्रमांक 23 से 40 तक एवं आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 241 की प्राकृतिक नाला सीमा लाईन से बमनेर नदी तक की वनसीमा। पूर्व - आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 241 की प्राकृतिक सीमा से बमनेर नदी की सीमा से होते हुये, आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 250 के मुनारा क्रमांक 01 तक की वनसीमा। दक्षिण - बमनेर नदी की सीमा से आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 250 के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनकक्ष क्र.-249 की सीमा के मुनारा क्रमांक 20 तक की वनसीमा। पश्चिम - आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 249 की सीमा के मुनारा क्रमांक 20 से आरक्षित वनकक्ष क्र.-245 की सीमा के मुनारा क्रमांक 23 तक की वनसीमा।
2				51	0.290	
3				21	1.600	
4				38/2	0.400	
5				45	0.510	
6				25	0.750	
7				66	0.120	
8				70	1.110	
9				61/2	0.300	
10				27	1.110	
11				38/3	0.200	
12				10	0.730	
13				61/1	0.550	
14				42	0.380	
15				22	0.490	
16				32/1	0.180	
17				41	0.290	
	55	0.490				
	65	0.230				
	71	0.240				
	57	0.440				
	59	1.480				
	6	0.500				

18			34	0.350	
			62	0.600	
19			32/2	0.090	
			64	0.730	
20			9	0.090	
			50	0.390	
21			18	0.560	
			54	0.820	
22			47	2.650	
23			5	2.050	
			37	0.130	
24			33	0.270	
			35	0.240	
			39	0.190	
			46	0.360	
			53	0.610	
			58	0.390	
			63	0.350	
25			17	0.440	
			36	0.020	
			38/1	4.010	
			52	0.150	
26			13	0.420	
			16	0.210	
			43	0.210	
			44	0.350	
			48	1.530	
			56	0.390	
			योग :-	31.240	
			शासकीय भूमि		
1			दृक्षकुंज	1	26.990
2			चरनोई	2	28.330
3			पहाड़	3	107.840
4			भू-जल	4	0.440
5			रास्ता	7	0.160
6			आबादी (गाँवठान)	8	0.070
7			चरनोई	12	0.060
8			रास्ता	14	0.220
9			आबादी (गाँवठान)	15	0.140
10			चरनोई	19	0.190
11			चरनोई	20	1.020
12			पहाड़	23	1.080
13			पहाड़	24	0.200
14			रास्ता	26	0.190
15			चरनोई	28	0.070
16			पहाड़	29	0.640
17			रास्ता	30	0.480

18		आबादी (गोंवठान)	31	0.170
19		आबादी (गोंवठान)	40	0.050
20		कब्रिस्तान	49	0.510
21		भू-जल	60	0.170
22		चरनोई	67	0.540
23		पहाड़	68	0.550
24		पहाड़	69	0.230
25		रास्ता	72	0.120
26		भू-जल	73	5.760
			योग :-	176.220
			कुल योग :-	207.460

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/एफ-3-8/07/10-2/2129 दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 में प्रावधानों के तहत प्रथम विकल्प के अनुसार नौरादेही (वन्य प्राणी) वनमंडल, सागर अभयारण्य क्षेत्रांतर्गत संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुर्नवास योजना में मझाज राजस्व ग्राम की 31.240 हेक्टेयर निजी भूमि एवं शासकीय भूमि 176.220 हेक्टेयर कुल राजस्व भूमि रकबा 207.460 हेक्टेयर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग से प्राप्त।
2. अन्य कारणों का विवरण - अभयारण्य से ग्राम विस्थापन के कारण प्राप्त निजी भूमि एवं शासकीय राजस्व भूमि को संरक्षित वन भूमि घोषित करने बावत।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 1362 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

एफ-25-62-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-62-2017-दस-3, दिनांक 20 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 20th June 2019

No. F-25-62/2019/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Chapter IV of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of section 29 of the aforesaid Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by State Government from time to time. This forest block lies in between N 23°23'16" to N 23°24'24" North Latitude and E 79°08'10" to E 79°10'25" East Longitude

SCHEDULE

District - Sagar

Tehsil : - Deori

Forest Division :- Nauradehi (WL) Division, Sagar

Forest Range :- Singpur

S.No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Madaz	Rampura (Madaz)	Personnel	11	0.250	North :- Boundary of Reserve Forest Comptt. No. 243 Munara No. 23 to 40 and Natural Nala Boundary RF 241 to Bamner River Forest Boundary. East :- Boundary of RF Comptt. No. 241 to Bamner River via to RF comptt. No. 250 Munara No. 01 Forest Boundary. South :- Boundary of Bamner River to RF Comptt. No. 250 Munara No. 01 to RF Comptt. No. 249 Munara No. 20 Forest Boundary. West :- RF Comptt No. 249 Boundary Munara No. 20 to RF comptt. no. 245 Boundary Munara No. 23 Forest Boundary.
2				51	0.290	
3				21	1.600	
4				38/2	0.400	
5				45	0.510	
6				25	0.750	
7				66	0.120	
8				70	1.110	
9				61/2	0.300	
10				27	1.110	
11				38/3	0.200	
12				10	0.730	
13				61/1	0.550	
14				42	0.380	
15				22	0.490	
16				32/1	0.180	
17				41	0.290	
18				55	0.490	
19				65	0.230	
20				71	0.240	
21				57	0.440	
22				59	1.480	
	6	0.500				
	34	0.350				
	62	0.600				
	32/2	0.090				
	64	0.730				
	9	0.090				
	50	0.390				
	18	0.560				
	54	0.820				
	47	2.650				

23			5	2.050
			37	0.130
24			33	0.270
			35	0.240
			39	0.190
			46	0.360
			53	0.610
			58	0.390
			63	0.350
25			17	0.440
			36	0.020
			38/1	4.010
			52	0.150
26			13	0.420
			16	0.210
			43	0.210
			44	0.350
			48	1.530
			56	0.390
			Total	31.240
		Govt. Revenue Land		
1		वृक्षकुंज	1	26.990
2		चरनोई	2	28.330
3		पहाड़	3	107.840
4		भू-जल	4	0.440
5		रास्ता	7	0.160
6		आबादी (गोंवठान)	8	0.070
7		चरनोई	12	0.060
8		रास्ता	14	0.220
9		आबादी (गोंवठान)	15	0.140
10		चरनोई	19	0.190
11		चरनोई	20	1.020
12		पहाड़	23	1.080
13		पहाड़	24	0.200
14		रास्ता	26	0.190
15		चरनोई	28	0.070
16		पहाड़	29	0.640
17		रास्ता	30	0.480
18		आबादी (गोंवठान)	31	0.170
19		आबादी (गोंवठान)	40	0.050
20		कब्रिस्तान	49	0.510
21		भू-जल	60	0.170
22		चरनोई	67	0.540

23			पहाड़	68	0.550	
24			पहाड़	69	0.230	
25			रास्ता	72	0.120	
26			भू-जल	73	5.760	
				Total :-	176.220	
				GrantTotal :-	207.460	

(A) Basis for Publication of Notification :-

- 1- According to provision of option-1 in memo No./F-3-8/07/10-2/2129 dated 30th October, 2008 of Department of Forest Government of Madhya Pradesh Mantralay Vallabh Bhawan, Bhopal. 31.240 hectare of Private land and 176.220 hectare of Government land, total area, 207.460 hectare of the Madaz revenue village has been received from the Revenue Department under Villages Relocation from Protected Areas scheme in Nauradehi (WL) Division, District Sagar, by Forest Department Madhya Pradesh Government.
- 2- Details of the other Description :- Private Revenue Land and Government Revenue Land Received of Madaz Revenue Village relocated from Nauradehi Sanctuary to be declared as Protected forest. .

(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1362 dated 23-12-2016 of SDM (Revenue) Deori, Sagar (Designation of competent Revenue officer) are as under.

- 1- Individual Rights- Nil
- 2- Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 19th June 2019

No.F-3/13/2016/XIII. Whereas, State Government has notified M.P. Electricity Reforms Transfer Schemes Rules 2006 vide notification dated 3rd June 2006 for regulating transfer and vesting of the functions, properties, interests, rights and obligations of the Residual Madhya Pradesh State Electricity Board relating to Bulk Purchase and Bulk Supply of Electricity along with the related agreements and arrangements in the State Government and re-vesting thereof by the State Government in M.P. Power Trading Company Limited (TRADECO), now known as M.P. Power Management Co. Ltd. (MPPMCL), and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made.

2. Whereas, vide notifications/order specified in column (2) of the Table - 1, State Government had allocated/reallocated total installed generation capacity available to the state, to the Discoms namely, M.P. Madhya Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd., Bhopal, M.P. Paschim Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd., Indore and M.P. Poorv Keshtra Vidyut Vitaran Co. Ltd., Jabalpur or M.P. Power Management Co. Limited (MPPMCL), as specified in column (3) of the Table - 1, on the date/time specified in column (4) of the Table - 1.

TABLE - 1

S. No.	Gazette notification (extraordinary)/ Order No. & date	Capacity allocated to	Capacity allocated on date/month
1	2	3	4
1.	6578-F.RS-4-XIII-2001 dated 17.10.2006	Discoms	September, 2006
2.	Order No.1929/F.RS/4/XIII/2001 dated 14.3.2007	Discoms	February, 2007
3.	2088-F-RS-4-XIII-2001 dated 19.3.2008	Discoms	19.03.2008
4.	3513-F-3-24-2009-XIII dated 16.06.2009	Discoms	16.06.2009
5.	3823-F-3-24-2009-XIII dated 11.5.2010	Discoms	11.05.2010
6.	4353-F-3-24-2009-XIII dated 18.5.2011	Discoms	18.05.2011
7.	2660/F-3-24/2009/XIII dated 29.3.2012	Discoms	29.03.2012
8.	2260-F-3-24-2009-XIII dated 19.3.2013	Discoms	19.03.2013
9.	2211/F-3-13/2016/XIII dated 21.3.2016	MPPMCL	21.03.2016

3. Whereas, total generation capacity available to the State indicated in the notifications/order specified in column (2) of the Table - 1, , inter-alia included a share of 22.5 MW (50%) out of total capacity of 45 MW from Rajghat Inter State Hydel Power Station (HPS), a shared generating station, located in Uttar Pradesh.
4. Whereas, a settlement reached between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, has enhanced share of the generation capacity allocated to the State from Rajghat Inter-state Hydel Power Station from 22.5 MW (50%) to 26.85 MW (59.68%) with effect from 01.04.2000. Therefore, the share of generation capacity available for Madhya Pradesh from Rajghat Inter-state HPS and accordingly the total generation capacity available to the state has been enhanced by 4.35 MW w.e.f 01.04.2000.
5. Now therefore, in partial modification to the notifications /order specified in column (2) of the Table - 1, Generation capacity /share of M.P., indicated in these notifications/order and their Appendix, against the head of Genco Hydro, Rajghat Inter-State Hydel Power Station, MPPGCL Inter-State Hydel, Total MPPGCL Hydel (including Inter-State Projects), Total MPPGCL (Thermal & Hydel including inter-state) and Gross generation capacity are hereby correspondingly enhanced by 4.35 MW each, from the date/month specified in column (4) of the Table - 1. Further, this enhanced generation capacity of 4.35 MW is allocated to the Discoms in the same proportion, as specified in the notifications/order from the date/month specified in column (4) of the Table - 1 and to MPPMCL from 21st March 2016 as specified in the notification dated 21st March 2016.
6. All other terms and conditions of the aforementioned notifications/order will remain unchanged.

No. F-3/13/2016/XIII: Whereas, State Government has notified M.P. Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules 2003, vide notification dated 30th Sept. 2003 for regulating the transfer and vesting of functions, properties and interests, rights and liabilities of the Madhya Pradesh State Electricity Board in the State Government and retransfer and re-vesting thereof by the State Government in any other Company or body corporate or authority and also for the transfer of Personnel of the Madhya Pradesh State Electricity Board to any other Company or body corporate or authority and for determining the terms and conditions on which such transfer and vesting shall be made.

2. Whereas, the Assets, liabilities and Proceedings of the Generation Undertakings belonging to Madhya Pradesh State Electricity Board transferred to and vested in Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd. (Genco) have been elaborated in the Schedule "A" 'Generation Undertakings' of these Rules, which inter-alia include 22.5 MW (50%) out of total capacity of 45 MW from Rajghat Hydel Power Station, a shared generating station, located in Uttar Pradesh.

3. Whereas, a settlement reached between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, has enhanced the share of generation capacity allocated to the State from Rajghat Inter-state Hydel Power Station from 22.5 MW (50%) to 26.85 MW (59.68%) with effect from 01.04.2000.

4. Now, therefore, the second foot note on page 1016 (32) of Madhya Pradesh Gazette with regard to sub-clause (d) of "Shared Generating Stations" under clause 1 "Existing Power Station" of Schedule 'A', 'Generating Undertaking' of Madhya Pradesh Electricity Reform First Transfer Scheme Rule is hereby substituted by the following: -

"This plant is located in Uttar Pradesh & 59.68% share belongs to MPSEB, which shall be transferred to the Generating Company."

5. All other provisions of the Rules will remain unchanged.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. K. CHATURVEDI, Officer on Special Duty.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश दमोह एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-01-अ-82-18-19.-
प्रति

दमोह, दिनांक 18 जून 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाते 09 से 08 में वर्णित भूमि/मकान की अनुसूची 09 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतएव भूमि/मकान मध्यप्रदेश शासन की नीति 2018 (consent land purchase policy)के तहत अर्जित की जा रही है। उक्त संबंध में जिस किस भी व्यक्ति/ संस्था/ उपक्रम को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने किसी अधिकृत/अधिकृत के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकता है।
बाद स्पष्ट के किसी तरह की कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं की जावेगी। आज दिनांक को जारी किया गया।

अनुसूची
परिसम्पत्ति/भूमि/मकान का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाले मकान का संगमन क्षेत्रफल		अर्जित क्षेत्रफल		मकान / भूमि स्वामी का नाम	आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की नीति Consent Land Purchase Policy 2014	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			परिसम्पत्ति मकान की स्थिति	साईज मी. में	कुल क्षेत्रफल वर्ग मी. में	अर्जित क्षेत्रफल वर्ग मी. में					
9	2	3	4								
दमोह	दमोह	खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	4.30	X	4.00	17.20	17.20	1	नगई बाई / हल्के	5	सतधार मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	8.10	X	4.20	34.02	34.02	2	डालसींग / जगत		
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	1.00	X	1.00	1.00	1.00	3	करन / कबू		
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	7.30	X	4.10	29.93	29.93	4	पूरन / बारेलाल		
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	6.90	X	3.00	20.70	20.70	5	कबू / बारेलाल		
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	4.00	X	3.00	12.00	12.00				
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	5.40	X	4.40	23.76	23.76				
		खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	1.00	X	1.00	1.00	1.00				

	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान अटारी	6.35	X	4.30	27.31	27.31	१६	खुद्द / छोटालाल
		छपरी	8.70	X	2.70	23.49	23.49		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	3.30	X	4.10	13.53	13.53	२०	नहे / खुद्द
		मकान	8.70	X	4.40	38.28	38.28		
		मकान	5.50	X	5.30	29.15	29.15		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	छपरी	6.45	X	2.90	18.71	18.71	२१	अजुन / बटई
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	5.50	X	4.10	22.55	22.55		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	9.00	X	4.00	36.00	36.00	२२	पंचम / बटई
		छपरी	8.40	X	2.50	21.00	21.00		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	9.00	X	4.00	36.00	36.00	२३	हिम्नू / भूरा
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	3.80	X	3.90	14.82	14.82		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00	२४	कोमल / गिरवारी
		मकान	7.10	X	3.75	26.63	26.63		
		छपरी	5.65	X	1.50	8.48	8.48		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00	२५	मवारी / कोमल
		मकान	3.60	X	4.50	16.20	16.20		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान अटारी	8.50	X	4.55	36.68	36.68	२६	राजप्यारी / बारलाल
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	10.40	X	4.80	49.92	49.92		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	6.00	X	4.20	25.20	25.20	२७	नहेभाई / हल्कू
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	10.40	X	4.80	49.92	49.92		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	6.00	X	4.20	25.20	25.20	२८	चरन / ननेभाई
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	10.40	X	4.80	49.92	49.92		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	3.90	X	4.20	16.38	16.38	२९	हल्ले / मुहुची
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	6.00	X	4.20	25.20	25.20		
	खजुरगढ़ (हरदुआ हटरी)	मकान	6.00	X	4.20	25.20	25.20	३०	हल्ले / मुहुची
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
		मकान	10.40	X	4.80	49.92	49.92		

	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	6.60	X	4.40	29.04	29.04	30	मुकुंदी / पुना		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	4.50	X	4.20	18.90	18.90	31	लखन / मुकुंदी		
		मकान	7.00	X	5.70	39.90	39.90				
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	7.00	X	4.50	31.50	31.50	32	रिक्कू / अर्जुन		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	7.00	X	3.50	24.50	24.50	33	भगोना / कौरा		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	6.30	X	6.00	37.80	37.80	34	नेपाल / भगवानवास		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	7.00	X	4.50	31.50	31.50	35	हीरा / भूरा		
		गौशाला	4.00	X	3.00	12.00	12.00				
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	6.00	X	5.70	34.20	34.20	36	प्रेमसींग / छोटालाल		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
		गौशाला	4.00	X	6.40	25.60	25.60				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान अटारी	4.30	X	6.60	28.38	28.38	37	छोटालाल / जुगे		
		मकान	6.60	X	2.30	15.18	15.18				
		छपरी	6.60	X	2.40	15.84	15.84				
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	7.00	X	5.85	40.95	40.95	38	खेतसींग / डेलनसींग		
		मकान	4.00	X	6.80	27.20	27.20				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	गौशाला	7.00	X	4.20	29.40	29.40	39	मुल्लू / शुरेसींग		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
		मकान	5.90	X	3.60	21.24	21.24				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	गौशाला	3.90	X	4.90	19.11	19.11	40	रवाराणी / दुरा		
		शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00				
	खजुरयाई (हरदुआ हटरी)	मकान	7.00	X	4.00	28.00	28.00	41	महेन्द्र / नल्लू		

		मकान	4.40	X	7.20	31.68	31.68	प्रताप / प्रह्लाद	
कृषिपाटला (अधरोट)	गौशाला	गौशाला	7.20	X	2.00	14.40	14.40		
	गौशाला	गौशाला	4.60	X	2.60	11.96	11.96		
कृषिपाटला (अधरोट)	गौशाला	गौशाला	4.00	X	6.10	24.40	24.40		
	मकान	मकान	4.80	X	2.30	11.04	11.04	उत्तम / चम्पू	
	मकान	मकान	3.40	X	6.10	20.74	20.74		
	शौचालय	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00	चम्पू / कृपोदा	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	8.40	X	3.00	25.20	25.20		
	शौचालय	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	5.60	X	2.30	12.88	12.88		
	मकान	मकान	9.00	X	3.00	27.00	27.00	सतीशरानी / केमल	
	पराधी	पराधी	3.60	X	2.30	8.28	8.28		
	गौशाला	गौशाला	7.00	X	4.60	32.20	32.20		
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	7.00	X	4.50	31.50	31.50	प्रेमरानी / मलखान	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	6.50	X	4.50	29.25	29.25	खुमानसिंग उर्फ मकरसिंग उर्फ शीलसिंग/ नौदर प्रतापसिंग	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	4.25	X	6.40	27.20	27.20	अशोक / मानक	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	4.75	X	10.00	47.50	47.50	आनंदी / मानक	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	4.50	X	4.35	19.58	19.58	रमी / मानक	
कृषिपाटला (अधरोट)	मकान	मकान	4.50	X	4.35	19.58	19.58	गुलाब / मानक	
खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	मकान	मकान	5.40	X	4.40	23.76	23.76		
	शौचालय	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00	मदर / बारलाल	
खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	खपरी	खपरी	6.50	X	4.40	28.60	28.60	मुदरे उर्फ प्रताप/ क्यू	

		मकान	4.20	X	4.70	19.74	19.74	२७	गुलचार्ड / लल्सू
खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	मकान	मकान	3.60	X	4.50	16.20	16.20	२८	लक्ष्मण / बारलाल
	शौचालय	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00	२९	चतुर पिता मलखान
खजुरियाई (हरदुआ हटरी)	मकान	मकान	7.00	X	3.60	25.20	25.20	३०	बाबू पिता प्रह्लाद
	शौचालय	शौचालय	1.00	X	1.00	1.00	1.00		

तरूणा राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2019

क्रमांक एफ-3-87-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2644-1-79-तैंतीस-73, भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 1973 गठित सीहोर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:—

अनुसूची

सीहोर नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर—ग्राम-बिजोरा, बिजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकंला, थूनाखुर्द, थूनाकलां, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक.
2. पूर्व—ग्राम-थूनाकलां, लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकलां, सिंकन्दरगंज, चैनपुरा, भान्देली, खुरानिया की पूर्व सीमा तक.
3. दक्षिण—ग्राम-गुडभेला, हसनाबाद, डाबोटी, बामुलिया, सीहोर, सागोनी, बरखेड़ा, बजावत, इमलीखेड, गेरूखान, पाटनी, बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक.
4. पश्चिम—ग्राम-बिजौरा, अवन्तीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, हासनाबाद, डाबोटी की पश्चिमी सीमा तक.

क्रमांक एफ-3-88-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (37) 86-बत्तीस, दिनांक 21 मार्च 1993 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-3-9-2006-बत्तीस, दिनांक 24 फरवरी 2006 द्वारा गठित भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है:—

अनुसूची

भोपाल नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर—ग्राम-फंदा कलां, खोरी, बरखेड़ा, सालम, परवलिया सड़क, चंदु खेड़ी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, रोजीबेग, राताताल, खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवानिया की उत्तरी सीमा तक.
2. पूर्व—ग्राम-सूखी सेवानिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा, शांतिनगर, आदमपुर छावनी, बिलखिरियाकलां, नरोन्हा सांकल (सांकल पडरिया), डगरौली, जमुनियाकलां, पिपलिया हटेला, नरेला बाज्याफत, बगरौदा, बंगरसिया पूर्वी सीमा तक.
3. दक्षिण—ग्राम-खुर्चनी, आवंला, समसपुरा, बाबलीखेड़ा, कालापानी, गोल, शोभापुरा जहज, पंचामा, बन्दोरी, सुरैया नगर, खाड़ाबाद, कोटरा, खाड़ाबाद, पिपलयारानी, समरधा कलियासोत, दीपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक.
4. पश्चिम—ग्राम-परवलिया सड़क (शाहपुरा), भौरी, बरखेड़ा सालम, खौरी, धमनियां, फंदाकलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 63-अ-82-भू-अर्जन-स्यावटा-उ.म.रे.-2017-18.-

मुरैना, दिनांक 8 मार्च 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- स्यावटा, तहसील- कैलारस, उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.689 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- स्यावटा, प.ह.नं-50 रा.नि. वृत्त-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.689 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	20	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	नरोत्तम प्रसाद विशम्भर दयाल पुत्रगण देवीलाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
2	27/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.029	सुरेन्द्र पुत्र मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
3	27/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	राकेश पुत्र मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
4	28/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	मुन्नालाल पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
5	33 मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	विजयभास्कर पुत्र हुकमसिंह हि. 572/585, कालीचरण पुत्र लखपति हि.13/585 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
6	33 मि.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		हृदेश पुत्र रामदीन हि. 572/585, कालीचरण पुत्र लखपति हि.13/585 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
7	34/1 मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	विजयभास्कर पुत्र हुकमसिंह जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
8	34/1 मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		हृदेश पुत्र रामदीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
9	34/1 मि. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भव्तीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
10	34/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भव्तीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
11	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

12	40/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	महेन्द्र पुत्र तुस्सीराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
13	40/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	देवीप्रसाद पुत्र तुस्सीराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
14	46/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	नरेन्द्र पुत्र दुर्गा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	46/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रामश्री बेबा दुर्गा धनवन्ती सन्दरिया सुशीला पुत्रियां दुर्गा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	47	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	भूप सिंह पुत्र गयाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	प्रबंधक कलेक्टर मुरैना ओकाक डिपार्टमेन्ट माफी देवस्थानी
18	60/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	सुल्तान पुत्र बाबूरायजाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
19	60/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	सुरेश राजेन्द्र अशोक पुत्रगण करन सिंह जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
20	61/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	शिशुपाल ना.बा पुत्र गनेशराम सर.पिता खुद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
21	61/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	भागचन्द पुत्र बाबूराय जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
22	63/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	कन्हैया लाल पत्र गनेशा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
23	63/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	शिशुपाल पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
24	63/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	प्रमोद पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
25	64/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	किलोई पुत्र चरनू जाति धोबी नि.ग्राम भूमि स्वामी
26	64/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	कल्लू पुत्र पतू हि.12/242 बंदी प्रसाद पुत्र किलोई हि.230/242 जाति धोबी नि.ग्राम भूमि स्वामी
27	64/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	रामलखन पुत्र पतू हि.116/242 जाति धोबी प्रदीप कुमार पुत्र भवूती राम हि.74/242 प्रवीण पुत्र लज्जाराम हि.52/242 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
28	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	कुअरपाल,ज्ञानेश्वर सियाराम पुत्रगण गिरवर लाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
29	66	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	मु. सोनो बेबा रघुवर वीरवल रामगोपाल दत्तक पुत्र रघुवर हि.26/106 विहारी लाल पुत्र मुरलीधर हि.7/106,करनसिंह भागचन्द राजाराम पुत्रगण बाबूराय शान्ती कलावती त्रिवेणी रामप्यारी रामश्री पुत्रिया बाबूराय,हि. 12/106,किशुनलाल पुत्र मुरलीधर हि. 8/106,हरिबिलाश रामसिंह पुत्रगण

					राधाकिशन,मु.मुन्नी बेवा लज्जाराम , श्रीकान्त पुत्र लज्जाराम ,ललिता ,मीनेश कविता पुत्रियां लज्जाराम जाति त्यागी हि.27/106 भूमि स्वामी भागीरथ ,विशम्भर ,रामहेत दामोदर,सोनेराम पुत्रगण ब्रखभान ,रामबेटी पुत्री ब्रखभान रुकमा बेवा ब्रखभान हि.7/8 समान उमेश सतीश पुत्रगण कन्हैया लाल ,निर्मला पुत्री कन्हैया लाल ,रामदेई बेवा कन्हैया लाल हि. 1/8 समान जाति त्यागी दर हि.14/106 रूपचन्द पुत्र मुरलीधर जाति त्यागी हि.9/106 , 10 विश्वांशी भवूतीराम पुत्र नेतराम जाति त्यागी नि.ग्राम हि.2/106 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
30	68	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
31	70/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	बृन्दावन ,राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
32	70/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	मुरारी पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
33	70/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर ,रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथप्रसाद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी,
34	70/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	रघुवीर प्रसाद पुत्र मूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
35	70/8	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	बसन्ती बेवा अमर सिंह रामबरन बा.योगेश ना. बा. पुत्रगण अमर सिंह ,मीरा ,मनोज, गुडिया बा. पिन्की ना.बा. पुत्रियां अमर सिंह सर.माँ खुद हि. 108/160 जाति त्यागी धर्मवीर ,प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्ता देवी बेवा देवीराम ममता ,ललिता ,सविता ,बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राहमण हि.42/160 समान भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी
36	70/9	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	भवूतीराम पुत्र मूलाराम जाति त्यागी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37	70/10	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	बसन्ती बेवा अमर सिंह रामबरन बा.योगेश ना. बा. पुत्रगण अमर सिंह ,मीरा ,मनोज, गुडिया बा. पिन्की ना.बा. पुत्रियां अमर सिंह सर.माँ खुद हि. 108/160 जाति त्यागी धर्मवीर ,प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्ता देवी बेवा देवीराम ममता ,ललिता ,सविता ,बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राहमण हि.42/160 समान भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी
38	70/11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	बृन्दावन ,राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी

39	70/12	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	रमेश उर्फ रामेश्वर, रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
40	70/14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	राजेन्द्र पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी
41	70/16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	राघवेन्द्र, राजेश पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
42	70/17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	देवेन्द्र, विनोद पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
43	72/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	रघुवीर प्रसाद पुत्र मूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
44	73	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	मु. शान्ती बेबा अंगद बन्टी पुत्र अंगद शकुन्तला पुत्री अंगद हि.3/8 लोंगश्री बेबा बीरेन्द्र, सूरज पुत्र बीरेन्द्र राधाकृष्णा पूनम पुत्रियां बीरेन्द्र हि.1/8 समान जाति धोबी बैजन्ती पुत्री रामचन्द्र जाति धोबी नि.ग्राम भूमिस्वामी हि.1/2 भू दान से कृषक
कुल कित्ता	44			0.689	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

My

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 64-अ-82-भू-अर्जन-दीपैरा-उ.म.रे.-2017-18.-

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- दीपैरा, तहसील- कैलारस, उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 3.932 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- दीपैरा, प.ह.नं. 49 रा.नि. वृत्त-2 में उक्त परियोजना के लिये 3.932 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1154/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	भरोषी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पटटेदार भूमिस्वामी
2	1154/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	खचेरी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पटटेदार भूमिस्वामी
3	1156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.971	मुरारी लाल पुत्र मनफूल बृजकिशोर पुत्र सियाराम जाटव हि.418/1473 बदन सिंह,सरनाम रामवीर बा. जनक सिंह ना.बा. पुत्रगण विसराम हि.1/2 गीता बेवा रामवरन आशिक ना.मरिया कविता लाली निविशा ना.बा. पुत्रियां रामवरनहि. 1/6 रघुवीर बा. बंटी ना.बा. पिता रतीराम हि.1/3 दर हि. 1055/1473 जाति काछी नि.ग्राम
4	1161/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.354	किशुनलाल पुत्र मुरली जाति त्यागी नि.स्यावटा भूमि स्वामी
5	1163/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.155	गीता देवी पत्नी रामविलास हि.1/2 निवासी उत्तमपुरा मुरैना मुन्शी लाल पुत्र दुर्जन हि.1/2 जाति जाटव निवासी मुरैना गाँव भूमि स्वामी
6	1164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.463	रामवती पत्नी लालाराम जाति जाटव नि.ग्राम हाल नि.कैलारस भूमि स्वामी
7	1165/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.044	भागीरथ पुत्र बृखभान जाति त्यागी नि. स्यावटा भूमि स्वामी
8	1165/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.129	खचेरी बा.इतवारी ना.बा. पुत्रगण तेज सिंह हर.खुद माँ रामश्री प्रेमा पुत्री तेज सिंह जाति कोरी नि.ग्राम भूमि स्वामी
9	1166/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	बाबू पुत्र लखुआ जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
10	1284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	बीरवल दत्तक पुत्र रघुवर जाति त्यागी नि. स्यावटा
11	1285/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा शेनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बारोजेन्द्र ना.बा.

				0.005	पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकटोरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 समान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
12	1285/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकटोरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 समान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
13	1290	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	लखपति पुत्र बलवन्त जाति त्यागी नि.ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
14	1292/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.377	सिददार पुत्र बाजीराव जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	1292/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी बा. गोपाल माखन राजेश ना.बा. पुत्रगण सोनेराम ना.बा. सर.मों खुद रेखा पुत्री सोनेराम जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	1293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मु. मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा. राजेन्द्र ना.बा. पुत्रगण सोनेराम सर.मों खुद रेखा पुत्री सोनेराम हि.1/30 रामकटोरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4समान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 समान भाग जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	1294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.714	मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी बा.गोपाल माखन राजेश ना.बा.पुत्रगण सोनेराम रेखा पुत्री सोनेराम ना.बा.सर.मों खुद समान भाग जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल कित्ता	17			3.932	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 67-अ-82-भू-अर्जन-तोरिका-उ.म.रे.-2017-18.-

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- तोरिका, तहसील- कैलारस, उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 4.615 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- तोरिका, प0ह0नं0-48 रा0नि0वृत्त0-02 में उक्त परियोजना के लिये 4.615 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	मुन्नालाल पुत्र रामजीलाल जाति त्यागी मंगलप्रसाद बाबूलाल पिता छीतरिया सुमित्रा पुत्री छीतरिया पता निवासी शेखपुर समान भाग भूमिस्वामी
2	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	रघुनाथ पिता भगवानलाल पता निवासी शेखपुर भूमिस्वामी
3	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ पता नि0 भूमिस्वामी
4	185	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.139	राजेन्द्र सामन्तसिंह नाबा0 सर0 पिता सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ नि0 ग्राम हि0 2/3 समान मु0 कलावती बेवा लालाराम महेश पुत्र लालाराम नाबा0 ज्ञानवती रामवती शकुन्तला अखलेश पुत्रियां लालाराम नाबा0 सर0 कलावती मां खुद हि0 1/3 समान जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5	186	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	मु0 रामकटोरी वेवा लोडू ओमप्रकाश पु. लोडू कमलेश सुनीता मनीता पुत्री लोडू जाति कोरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
6	188	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.194	प्रहलाद श्यामलाल पुत्रगण ग्यासिया हि0 81/433 समान मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि. 3/8 समान प्रहलाद श्यामलाल मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि0 289/433 समान जाति धाकड़ शीलादेवी पत्नी रामप्रकाश जाति राठोर पता नि0 ग्राम 63/433 भाग भूमिस्वामी

7	195	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	196	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	198	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	199	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	परसोत्तम भरोषी पुत्रगण मंगला मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	228	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	सुशीला गीता पुत्रियां भोगीराम हि0 5/6 समान धनीराम दर्शन पुत्रगण भोगीराम जाति त्यागी पता नि0 ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी
12	235	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण हि.5/66 नि.कैलारस लीला पत्नी रामेश्वर नर्मदा पत्नी रामनाथ हि.11/66 मनीषा पत्नी जाधवीप्रसाद अशोक उर्फ अरुण पुत्र लज्जाराम हि.45/66 समान जाति त्यागी बलवीर पुत्र रामहिंद जाति

					धाकड़ हि.1/2 लक्ष्मीनारायण, जितेन्द्र पुत्रगण दर्शनलाल हि.1/2 दर हि.5/66 जाति शाक्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
13	237	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.033	रमेशचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी
14	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	रमेशचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी
15	245	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
16	271/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	दाताराम पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17	271/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	कृपाराम पुत्र जनवेद जाति धाकड़
18	271/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
19	272	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.153	मुन्शीलाल पुत्र नारायणलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार भूमि बिक्रय से बर्जित
20	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.106	लक्ष्मी बेवा सुरेशचन्द्र जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भूमि बिक्रय से बर्जित
21	274	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	मु० मायादेवी बेवा बाकेलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
22	303	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.448	हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राम्हण पता नि० जौरा भू-दान कृषक
23	309	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.020	हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राम्हण पता नि० जौरा भू-दान कृषक
24	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.629	मंदिर पुस्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी बाके ग्राम सुजर्मा प्रवधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पट्टेदार
कुल कित्ता	24			4.615	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम प्रजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 01-अ-82-19-20

सागर, दिनांक 30 मई 2019

मौजा बोदा पिपरिया पट.ह.नं.-110 तहसील सागर

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्रो, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टल (परिवेश) पर प्रकरण क्रमांक AW/85023/2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 4830. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | आपचंद सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | सागर |
| 3. ग्राम | : | बोदा पिपरिया |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 110 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 109.520 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स.कं.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्याबाई पत्नि रामनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	1.170	0.330	
2	प्यारेलाल गुलई राजबाई पिता हरजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	1.720	0.810	
3	मुकेश पिता कुदा देशरानी बेवा कुदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	0.470	0.080	
4	देशराज परम ना.बा. पिता हल्काई पालक व खुद बहिन क्रांतिबाई पिता हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	55	1.000	0.150	
5	कल्यानसिंह बखतसिंह पिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल अवधरानी बेबा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू मीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पत्नि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिबू मनीषा पुत्री शिबू अनूपरानी बेवा शिबू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56	1.270	0.430	
6	झुनकारी उर्फ गुलाबरानी बेबा छिम्मा सा. दहे कसिया पुत्री हिम्मत गोकल वल्द परसादी जनकियाबाई भूमि स्वामी ना.बा. वल्द वली परसादी वली मा छलोनी राजरानी बेबा परमू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	58	1.550	1.550	
7	कौशल्यारानी पति गोविन्द पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59	1.130	1.130	
8	वल्लू बनीबाई पिता बुधू सा. देह रमबाई जोजे राधे सा. आमचंद गुलाबबाई जोजे काशीराम भूमि स्वामी सा. सिदगुंवा श्यामबाई जोजे वंशी सा. खैराना रामकली बल्द हिम्मत सा. पठा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60	1.350	1.350	
9	सिरदार बहू बेबा चंदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	61	0.660	0.66	

2

क्र.सं.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
10	कल्यानसिंह बखतसिंहपिता पन्ना बारेलाल सिंह पिस रामदयाल अवधरानीबेबा रामदयाल पता सा. देह भूमि स्वामी रघुवीर राजाराम पिता मिरजू मीरा चीना पुत्री मिरजू कली बाई पत्नि मिरजू विजय जगदीश छोटू पिता शिबू मनीषा पुत्री शिबू अनूपरानी बेबा शिबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62	0.650	0.65	
11	जगन्नाथ पिता जुड़े महरानी बेबा बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63	0.130	0.13	
12	टीकाराम सूरत सींग सीताराम पिता दुर्गा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64	0.120	0.12	
13	प्रहलाद पिता धरमदास अमसींग पिता चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65	0.120	0.120	
14	प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द छुदा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66	0.120	0.120	
15	मुकेश पिता कुदा देशरानी बेबा कुदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	67	0.600	0.600	
16	रामनाथ श्रीराम पि. हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/1	3.420	3.020	
17	राजाराम वल्द हल्काई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/2	0.030	0.030	
18	ग्याबाई पत्नि रामनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/3	0.450	0.450	
19	गनेश वल्द हरचन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69	0.070	0.070	
20	हरचरन वल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70	0.810	0.810	
21	गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.990	0.990	
22	सीताराम जीवन सुरेश शांतीबाई क्रांतीबाई पि० घनश्याम शीलरानी बेबा घनश्याम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	72	1.540	1.350	
23	सीताराम जीवन सुरेश पिता घनश्याम शांतिबाई क्रांतिबाई पुत्री घनश्याम शीलरानी बेबा घनश्याम दीपक रामकेश पिता भगवानसींग मगन गुलझारी सुमेदा रूकमन पूनाबाई पिता भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	73	1.600	0.190	
24	शालकराम रामरूपाल पिता कनई रामदुलैया बेबा कनई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/1	0.780	0.240	
25	रमेश ब० दामोदर पता निवासी बहेरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	78/4	0.300	0.300	
26	दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79	0.790	0.170	
27	नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/1	0.980	0.210	
28	कपिल कुमार पिता शीतलचंद जैन पता सा. वर्णी कालोनी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82/2	0.400	0.400	
29	नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	139	0.710	0.570	
30	रामेश्वर वल्द संतोष छुदकल बल्द दिवाकर मुन्ना नन्हेभाई बली मां पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140	0.590	0.590	
31	दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141	0.270	0.270	
32	सँगीता पति प्रदीप पता सा. देह सेवा खातेदार	सेवाखातेदार	142	0.390	0.340	
33	महादेव मोहनलाल बल्द बाबूलाल शालकराम प्रकाश हल्लोबाई कृष्णाबाई श्रीबाई जमनाबाई पिता कनई भूमि स्वामी प्रेमदुलैया बेबा कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143	0.510	0.510	
34	फूलसींग अमान पिता परषोत्तम हल्की बिन्ना पिता परषोत्तम बृजरानी बेबा परषोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	144	0.320	0.320	
35	सँगीता पति प्रदीप पता सा. देह सेवा खातेदार	सेवाखातेदार	145	1.250	1.250	
36	चित्तर प्रभू पिता कौडी छवरानी बेबा कौडी बाबू पुत्री जगदीश सुशीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी बेबा जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	146	1.010	1.010	

स. नं.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
37	चित्तर प्रभू पिता कौडी छवरानी वेवा कौडी बाबू पुत्री जगदीश सुशीला पुत्री जगदीश सुन्दररानी वेवा जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	148	0.080	0.080	
38	रामरानी बेबा गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	149	0.230	0.230	
39	दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	150	2.560	2.560	
40	फूलसींग अमान किशन पिस परसोत्तम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	151	0.660	0.660	
41	सीताराम जीवन सुरेश पिता घनश्याम शांतिबाई क्रांतिबाई पुत्री घनश्याम शीलरानी बेबा घनश्याम दीपक रामकेश पिता भगवानसींग मगन गुलझारी सुमेदा रुक्रमन पूनाबाई पिता भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/1	0.380	0.380	
42	नीतेश पिता गुलझार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	152/2	0.370	0.370	
43	नरान वल्द रामसहाय शीलाबाई जोजे बालराम पता सा. ग्वालियर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	153	0.100	0.100	
44	रमेश गोकल कमलेश पिता उमराव घसीटीबाई वेवा उमराव पता सा. सानोधा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	155	0.660	0.660	
45	रामेश्वर वल्द संतोष छुदकल बल्द दिवाकर मुन्ना नन्हेभाई बली मां पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	156	0.360	0.360	
46	रमेश गोकल कमलेश पिता उमराव घसीटीबाई वेवा उमराव पता सा. सानोधा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	157	0.300	0.300	
47	शांतिबाई पिता लिखई महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेबा शोभा श्यामलाल विन्द्रावन हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अंगूरी अर्चना पुत्री सवदल प्रकाशरानी बेबा सवदल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	158	0.430	0.430	
48	मुन्ना नन्हेभाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 4.30	भूमिस्वामी	159	0.890	0.890	
49	महादेव मोहनलाल पि. बाबूलाल रामरानी पत्नि गुलाबसींग शालकराम प्रकाश हल्लीबाई कृष्णाबाई श्रीबाई भूमि स्वामी जनकबाई पि.कनई प्रेमदुलैया वे. कनई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	162	0.290	0.290	
50	गोटीराम बल्द लख्खी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	163	0.780	0.780	
51	बलीराम बल्द गुन्ने पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	164	0.720	0.720	
52	गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	165	0.350	0.350	
53	सियारानी पत्नि वीर सिंह पता सेवारा सेवारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	166	0.480	0.480	
54	रतन दुलैया वेवा सिया पप्पू वल्लोवाई पि. सिया रव्ही पि. पूरन जगरानी वेवा परसादी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	167	2.000	2.000	
55	गुलझारी बल्द भैरो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	168	1.560	1.560	
56	मकुन्दराम बल्द बलबतराव वल्द रामसहाय गोमतीबाई बेबा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव संतोष राव छुटकुल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	169	1.920	1.920	
57	परसादी बल्द मन्ू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	170	0.620	0.620	
58	प्यार गुलई राजबाई पि. हरजू गुलाब नन्नी भगोनी पिता विरजा पता सा. देह भूमि स्वामी मन्ू 80 नन्ू उर्मिला अँजो मँजो पु० नन्ू सरोजरानी बेबा नन्ू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	172	1.610	1.610	
59	प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द छुदा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजेउमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	173	0.740	0.740	
60	पलुवा दुर्जन खुनसैया बटुवा पिस सवेया द्रोपती बल्द सेवेया ललतिया बल्द सवेया पता सा. आमचंद भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/1	0.140	0.140	

स.क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
61	सुमतरानी पति उमराब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	174/2	0.850	0.850	
62	राजकुमार सुरेन्द्र वा0 गोलू नावा0 पिसरान रूपसिंह बली व खुद माँ कौशल्या बेवा रूपसिंह बर्षा पुत्री रूपसिंह रघुवीर पिता बाबूलाल खेमा पिस मोहनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	175	0.890	0.890	
63	मुन्ना नन्हेभाई पिता सोभा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	176	0.280	0.280	
64	प्यारेलाल मुन्ना राजू पि. टीका इन्द्रानी बेबा टीका रामप्रसाद बल्द छुदा सा. देह रमबाई जोजे मानसींग भूमि स्वामी सा. रमखिरिया पानबाई जोजे उमेद सा. शेखपुर ताराबाई पिता टीका सा. पठा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177	0.980	0.980	
65	मकुन्दराम बल्द बलबतराव वल्द रामसहाय गोमतीबाई बेबा शोभाराम पता सा. देह भूमि स्वामी रामेश्वर राव संतोष राव छुटकूल पिता दिवाकर माधुरी पुत्री दिवाकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	178	0.920	0.920	
66	रामरानी बेबा गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	179	1.180	1.180	
67	रूपरानी बेबा करनसिंह रेखारानी बेबा हरीशंकर काशीराम रामसिंह शीलाबाई आशाबाई व रामजी ना.बा.बल्द भूमि स्वामी कनई पालक व खुद मां जनकरानी वे. कनई रामाधार गजाधर कच्छेदी पि. पहाडी फुलरानी वेवा पहाडी राजसिंह हल्लू गिल्लो कुन्ती पि. देवसिंह भूमि स्वामी शेवरानी बे. देवसिंह गुलाबबाई पुत्री नथू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	180	1.020	1.020	
68	दयाचंद निर्मलकुमार सुमतकुमार ज्ञानचंद शिखरचंद शीतलचंद जवाहरलाल पिता बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	181	0.970	0.970	
69	धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे. रगबर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द ननेलाल भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द बुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नु बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184	1.110	1.110	
70	फूलसींग पिता छुटा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185	1.000	0.900	
71	धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे. रगबर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द ननेलाल भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द बुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नु बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186	0.390	0.390	
72	राजेन्द्र कुमार वल्द वसन्तलाल समैया पता सा. पदमाकर नगर रजाखेडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	187	1.610	1.610	
73	भदू पिता फदाली पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	189	1.010	0.560	
74	महादेव पिता शोभा शकुन पुत्री शोभा सियारानी बेबा शोभा श्यामलाल विन्दावन हरगोविन्द पिता सवदल चन्दा अंगूरी अर्चना पुत्री सवदल प्रकाशरानी बेबा सवदल सुदामा धनीराम वल्द रामचंद रानी बहू वेवा रामचन्द पथरियाबारी बेवा.फुल्ले भूमि स्वामी नरान परसराम पि. फुल्ले पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	191	0.490	0.140	
75	धनीराम काशीराम रतीराम पिता रगबर बेबा मल्ली वे. रगबर हरीशंकर ओंकार कृपाल भावन पि. घनश्याम भूमि स्वामी अवधरानी वेवा घनश्याम हरिनारायण खानजू बहादुर पि. गोकल रामदुलैया वे. गोकल महाराज वल्द ननेलाल	भूमिस्वामी	192	0.230	0.230	
76	भूमि स्वामी परषोत्तम वल्द बुद्धे कामताप्रसाद दरवारी वैजनाथ पि. दुलारे मानसिंह नन्नु बाबू कोमल मोजी पि. भूमि स्वामी दुर्गा	भूमिस्वामी	193	0.300	0.300	

स.क.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	भगवानदास वीरेन्द्र पि. ग्याप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी					
77	भैयालाल बल्द कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195	0.300	0.300	
78	धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	196	0.500	0.500	
79	प्रयागरानी बेवा चित्तर प्रहलाद नावा. पिता चित्तर बली व खुद मां प्रयागरानी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	198	0.700	0.700	
80	रगबीर जमना जगन दामोदर पिस गजराज राजरानी बेबा गजराज पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	199	2.400	2.400	
81	गुलाब सेवक अनंदा बा. प्रेमबाई ना.बा. पिता कछेदी गोमतीबाई जोजे अमोल पालक भाई मुलाम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201	1.270	1.270	
82	रामाधार गजाधर कन्छेदी पि. पहाडी फुलरानी बेवा पहाडी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	203	1.400	1.400	
83	कुन्दन पश्चिम पिस सिब्बे पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	204	2.000	2.000	
84	मुन्ना बल्द मुल्ले पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	205	0.460	0.460	
85	रामदास रामलाल मुन्नापिस मुल्ले पता सा० बरखुरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	206	1.480	1.480	
86	लछमनसिंह वल्द चिन्ते पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	207	1.530	1.530	
87	हरीशंकर वल्द घनश्याम पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/1	1.220	1.220	
88	तारारानी पत्नि काशीराम यादव पता बरखेडा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/2	1.270	1.270	
89	रामकुमार पिता काशीराम यादव पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	208/3	1.260	1.260	
90	भैयालाल बल्द कन्छेदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	209	0.700	0.700	
91	छोटे तुलसी शंकर पिस. फुल्ला शांतिबाई हल्लीबाई पु. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त	भूमिस्वामी	210	1.000	1.000	
92	धनीराम रतिराम काशीराम पिता रगवर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	211	3.200	3.200	
93	दीनदयाल पि धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	212	1.000	1.000	
94	दयारानी पत्नि धनीराम पता बरखेडा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/1	1.350	1.350	
95	लक्ष्मीनारायण पि रतिराम यादव पता सा० बरखेडा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/2	1.200	1.200	
96	अशोकरानी पति रतीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	213/3	1.200	1.200	
97	कोमलबाई उर्फ सुमन पुत्री कामता प्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/1	0.620	0.620	
98	नर्मदाप्रसाद ब० बैजनाथ सा० बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/2	0.620	0.620	
99	दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	214/3	0.630	0.630	
100	चन्द्रारानी पत्नि भागीरथ पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215/1	1.230	1.230	
101	मिथिलेश रानी पत्नि बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	215/2	1.230	1.230	
102	हरीनारायण खानजू वहादुर पि. गोकल रामदुलैया बेवा गोकल पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/1	2.390	2.390	
103	अजयरानी पत्नि भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216/2	0.200	0.200	
104	वावूलाल मानसिंह कोमल नहेलाल पिता दुर्गा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/1	2.960	2.960	
105	अजयरानी पत्नि भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/2	0.540	0.540	
106	माशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/1	0.940	0.940	
107	बैजनाथ ब० दुल्ले पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	0.950	0.950	
108	दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/3	0.940	0.940	
109	नदिनी पत्नि महेन्द्र जैन पता सा. मोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219	1.210	1.210	
110	रश्मि पत्नि राजेश जैन पता सा. करपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220	1.010	1.010	

क्र.सं.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
111	संजना पति सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन नीलू पति संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पति ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221	3.320	3.320	
112	रश्मि पति राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	223	0.110	0.110	
113	संजना पति सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन नीलू पति संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पति ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	224	0.620	0.620	
114	धनीराम रतिराम काशीराम पिता रमधर पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226/1	0.060	0.060	
115	मुन्नी पति ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पति निखलंक जूली उर्फ जयंती पति अखलंक भूमि स्वामी रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	226/2	1.200	1.200	
116	मुन्नी पति ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पति निखलंक जूली उर्फ जयंती पति अखलंक भूमि स्वामी रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	227	0.890	0.890	
117	मुन्नी पति ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पति निखलंक जूली उर्फ जयंती पति अखलंक भूमि स्वामी रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228	0.800	0.800	
118	रश्मि पति राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229	0.220	0.010	
119	संजना पति सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन नीलू पति संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पति ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	230	2.000	0.280	
120	नंदिनी पति महेन्द्र जैन पता सा. भोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/2	0.350	0.350	
121	मुन्नी पति ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पति निखलंक जूली उर्फ जयंती पति अखलंक भूमि स्वामी रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	232	3.300	3.300	
122	रश्मि पति राजेश जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233	1.200	1.200	
123	संजना पति सचिन जैन रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन नीलू पति संजय जैन पता सा. कर्रापुर भूमि स्वामी मुन्नी पति ऋषभ जैन पता सा. रजाखेडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234	1.620	1.620	
124	उमाशंकर पिता कामताप्रसाद पता सा. बरखेरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235/1	0.320	0.320	
125	बेजनाथ 80 दुल्ले पता बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235/2	0.320	0.320	
126	दरबारी पिता दुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235/3	0.320	0.320	
127	चन्द्रारानी पति भागीरथ पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/1	0.120	0.120	
128	मिथिलेश रानी पति बालमुकुन्द पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/2	0.130	0.130	
129	हरीनारायण खानजू वहादुर पि. गोकल रामदुलैया वेवा गोकल पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237	0.200	0.200	
130	मुन्नी पति ऋषभ जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीमा पति निखलंक जूली उर्फ जयंती पति अखलंक भूमि स्वामी रीता उर्फ रिंकी पति सुरेश जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	238	1.100	1.100	
131	बाबूलाल मानसिंह कोमल नन्हेलाल पिता दुर्गा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239/1	0.340	0.340	
132	अजयराणी पति भुवानी प्रसाद पता सा. बरखेरा गौतम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239/2	0.120	0.120	
	योग		133	120.450	109.520	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी,

भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्रमांक 02-अ-82-19-20

मौजा दुधोनिया पट.ह.नं.-111 तहसील सागर

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमक-एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक-एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टल (परिवेश) पर प्रकरणक्रमक AW/85023/2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 4830. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1)	परियोजना का नाम	:	आपचंद सिंचाई परियोजना
(2)	भूमि का विवरण	:	
	1. जिला	:	सागर
	2. तहसील	:	सागर
	3. ग्राम	:	दुधोनिया
	4. पट.ह.नं.-	:	111
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	4.460 है.

:: अनुसूची-1 ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	भरत बा. गब्बर रतन छोटेलाल वीरसींग दीपेश अंकित हरीबाई रतीबाई छोटी बाई नाबा. पिता नवल बली व मां खुद सुन्दररानी बेवा नवल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	282	0.68	0.08	
2	नाथूराम भागीरथ पिता गजई ताराबाई पुत्री रघुवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	283	2.160	2.16	
3	नाथूराम भागीरथ पिता गजई ताराबाई पुत्री रघुवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	289	2.430	1.01	
4	कुंवरबाई बेवा बैजनाथ रामचरण रतीराम भागवल भगवानसींग राजू नरेन्द्र हरविन्द पिस0 बैजनाथ मोराबाई शब्बीबाई उर्मिलाबाई शांतिबाई रन्वीबाई वा0 चन्द्रवती क्रांतिबाई ना0वा0 पुत्रियां बैजनाथ वली मां कुंवरबाई बेवा बैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	290	1.210	1.210	
योग			04	6.48	4.46	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारियों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक-एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक-एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्रमांक 03-अ-82-19-20

मौजा गौची पट.ह.नं.-94 तहसील सागर

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

बुँके समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर को आपचंद सिंचाई परियोजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रकरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पोर्टल (परिवेश) पर प्रकरण क्रमांक AW/85023/2018 EPA से दर्ज किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 4830. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | आपचंद सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | सागर |
| 3. ग्राम | : | गौची |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 94 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 8.270 है. |

:: अनुसूची-1 ::

स.कं.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मोहन ब० राजाराम सा० भैसवाही भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	244/1	0.370	0.370	
2	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्तू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	244/2	0.080	-0.080	
3	चिन्तर पिता थानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	244/3	0.800	0.800	
4	शकूबाई वेवा थानसीग पता सा. बोधा पिपरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	244/4	0.800	0.800	
5	कनई वल्द सुक्के पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	245	1.100	1.10	
6	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्तू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	246	1.200	1.20	
7	प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई पि. हरचरण कल्लोबाई बे. हरचरण पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	247/1	1.110	1.11	
8	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्तू वल्द मनमोद पता सा. भैसवाही भूमि स्वामी शासन से प्राप्त पट्टा भूमि अहस्तान्तरणीय	भूमिस्वामी	247/2	0.140	0.14	
9	नन्नेबाई ब० कुड़ा पता सा. देह भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.30	भूमिस्वामी	248	1.420	1.42	
10	रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद पता सा. भैसवाही भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	249	0.850	0.85	
11	रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद पता सा. भैसवाही भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251	0.400	0.40	
योग			11	8.270	8.270	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संख्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संख्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

क्रमांक 66-अ-82-17-18-4333

सागर, दिनांक 6 जून 2019

मौजा गावरी पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ चुके समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील राहतगढ
 3. ग्राम गावरी
 4. पटवारी हल्का नं. 10 दरकोली
 5. अर्जित भूमि का हेक्टैयर 137.270

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि (रकबा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	थोवन बल्द पंचा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.840	0.840	
		भूमि स्वामी	56/2	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	85	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	109/2	0.790	0.790	
2	फुस्सा बल्द धुन्धा मुन्नाखेतसींग जयराम रामदास पिस.धरमा मझलीबहू बेवाधरमा भूमि स्वामी ललता शकुन कुसम पुत्रियांधर्मा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	10/1	1.140	1.140	
3	गुवरा बल्द धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	10/2	0.570	0.570	
		भूमि स्वामी	10/3	0.570	0.570	
		भूमि स्वामी	10/4	0.570	0.570	
4	खेमाबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/3	0.130	0.130	

5	मनवीबाई पुत्र धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/4	0.130	0.130	
6	काशीबाई पुत्री धुन्धा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/5	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	10/5	0.560	0.560	
7	मथराबाई बेवा बसंता पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	4/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	4/3	0.140	0.140	
8	दामोदर पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.900	0.900	
9	नंदराम पिता बसंता पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.900	0.900	
10	प्रेमसींग पिता सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.900	0.900	
11	धनराजबल्द पल्दू पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.420	0.420	
		भूमि स्वामी	8/1	0.190	0.190	
12	मु.असद वल्द अब्दुल गफफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	8/2	0.200	0.200	
13	मुहम्मद असद वल्द अब्दुल गफफार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	0.610	0.610	
14	रंधीर बल्द गुवरा पता सा. दरकोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.800	0.800	
15	बसीर खां बल्द ईसुक खां पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.180	0.180	
16	राहुल ना.वा.बल्दबृजविहारी पा.मां रुकमणी बाई पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	3.640	3.640	
17	रुकमणी बेवा ब्रजबिहारी राहुल नावा वल्द ब्रजबिहारी सीमा आभा वा. पूजा नावा बल्द ब्रजबिहारी वली मां रुकमणी पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	3.640	3.640	
18	सियाबाई बेवा मुलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.460	1.460	
		भूमि स्वामी	119	0.400	0.400	
19	राजेश पिता जैसींग कुवरबाई बेवा जैसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.110	1.110	
20	कृपाराम बल्द बसंता पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.900	0.900	
		भूमि स्वामी	34/1	0.040	0.040	
21	मुखलील बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.420	0.420	
		भूमि स्वामी	18	1.430	1.430	
22	सहोद्राबाई जोजे वसंत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.400	0.400	
23	वसंत बल्द परम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.350	0.350	
24	बाबूलाल पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.970	0.970	
		भूमि स्वामी	26	0.370	0.370	

25	धीरजसिंग पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.580	0.580	
26	मोहन पिता बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/3	1.000	1.000	
27	रामबाबू बल्दहरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1	4.320	4.320	
		भूमि स्वामी	22/1	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/3	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	45	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	77	2.160	2.160	
28	सुधाबाई जोजे हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/2	1.050	1.050	
		भूमि स्वामी	22/5	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/6	0.350	0.350	
		भूमि स्वामी	22/7	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	30/1	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/3	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/4	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/5	0.150	0.150	
		भूमि स्वामी	30/6	0.140	0.140	
		भूमि स्वामी	39	0.120	0.120	
29	अमीन पिता पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/3	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	22/2	1.010	1.010	
30	इसरार बल्द पीर मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/4	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	22/4	1.010	1.010	
31	हरिशंकर बल्द अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	73/1	0.450	0.450	
		भूमि स्वामी	73/2	0.450	0.450	
32	परमलाल बल्द परताप पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.950	0.950	
33	हनीफा बी पत्नि अब्दुल वहीद मु. तकी वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	25/2	0.930	0.930	
		भूमि स्वामी	27/2	0.130	0.130	
		भूमि स्वामी	29/4	0.080	0.080	
34	शिवराज कीरत लक्ष्मन रूपवती राधाबाई पिता बृजलाल कुसमरानी बेवा बृजलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1	1.720	1.720	
		भूमि स्वामी	26/131/2	0.100	0.100	
		भूमि स्वामी	29/2	0.100	0.100	
35	रफीक वल्द अब्दुल वहीद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/3	0.020	0.020	
36	विष्णु प्रसाद बल्द खिलानसिंग पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30/2	2.230	2.230	
37	घासीराम बल्द गिरधारी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.110	0.110	
		भूमि स्वामी	64/1, 64/4	0.570	0.570	
38	मानकलाल वल्द बसत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/2	0.040	0.040	
		भूमि स्वामी	97	0.410	0.410	

		भूमि स्वामी	98/3	1.060	1.060	
		भूमि स्वामी	111	0.460	0.460	
39	लीलाधर वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/3	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	98/1	1.060	1.060	
40	भगवानसिंह वल्द बसंत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34/4	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	98/2	1.060	1.060	
41	शिबू ना.वा.बल्द प्रेमसींग वली मां व खुद शंकरिया बेवा प्रेमसींगमहताब बल्द प्रेमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.040	0.040	
42	गोविन्द वल्द प्रहलादसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.540	0.540	
		भूमि स्वामी	67/1	0.810	0.810	
		भूमि स्वामी	76/1	1.200	1.200	
43	सेवक बल्द हजारीलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.200	0.200	
44	जसवत वल्द प्रहलाद सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.270	0.270	
		भूमि स्वामी	67/2	0.800	0.800	
		भूमि स्वामी	76/2	1.200	1.200	
45	जालम वल्द प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/1	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	87	1.210	1.210	
		भूमि स्वामी	90/1	1.770	1.770	
		भूमि स्वामी	95/2	1.600	1.600	
46	टुन्डीलाल वल्द प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/2	0.010	0.010	
		भूमि स्वामी	89	0.410	0.410	
		भूमि स्वामी	90/2	0.540	0.540	
		भूमि स्वामी	95/3	3.640	3.640	
47	निर्भय सींग वल्द प्रहलादसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.340	0.340	
		भूमि स्वामी	76/3	1.570	1.570	
		भूमि स्वामी	125/1	0.830	0.830	
48	हल्का बल्द पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	57	0.100	0.100	
49	परसू वल्द पम्मा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/1	0.060	0.060	
		भूमि स्वामी	109/1	0.780	0.780	
50	दिलीप वल्द मथूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56/3	0.050	0.050	
		भूमि स्वामी	109/3	0.790	0.790	
51	मिहोलाल मुन्ना फूलसींगपिस.आलम जैबाई पुत्री आलम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/1	0.190	0.190	
		भूमि स्वामी	64/3, 64/6	0.500	0.500	
52	राजेश पिता जैसींग रामप्यारी मथुराबाई पुत्री जैसींग कुवरबाई बेवा जौसींग कसिया हल्काई नत्थूपिस.रामसींग रवीदास बल्द कलू प्रभा पुत्री कलूशांती बेवा कलू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.180	0.180	
		भूमि स्वामी	64/2	0.500	0.500	

53	धीरजसिंग वल्द बालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	0.390	0.390	
54	मनोज धर्मेश्वर पिता दिनेश आशारानी बेबा दिनेश पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	2.830	2.830	
55	सुहागरानी वेवा मन्नुलाल नर्मदा प्रसाद बाबूलाल राजू खेतसिंग पि. मन्नुलाल कृष्णाबाई विमलाबाई क्रांतिबाई रेखाबाई पुत्रिया मन्नुलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.620	1.620	
56	नेहा रजनी ना वा पुत्री मुन्ना वली व खुद कच्छेदी वलराम पिता लालचंद मालतीबाई पुत्री बालचंद मीराबाई विद्याबाई कुमुमबाई विनोदबाई पुत्री लालचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	1.610	1.610	
57	कोमलबाई जोजे खेमलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80	1.370	1.370	
58	तुलसीराम बल्द मिहीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	120/1	0.210	0.210	
59	हल्कीबाई बेवा मिहीलालतुलसीराम बल्द मिहीलाल सुंदरीबाई रतीबाई पुत्रियां भूमि स्वामी मिहीलाल हीराबाई बेवाउत्तम विनीता सुंदरी ना. वा. पुत्रियां उत्तम वली इन्द्राज बृजेश ना. वा. पिस. उत्तम पा. मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/2	1.340	1.340	
60	हीराबाई बेवा उत्तम विनीतासुंदरी ना. वा. पुत्रियां उत्तम बृजेश इन्द्राज ना. वा. पुत्र उत्तम पा. मां हीराबाई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/3	1.010	1.010	
		भूमि स्वामी	120/2	0.210	0.210	
61	कबीर वल्द पीरमुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/1	1.340	1.340	
62	समीम वल्द पीर मोहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82/2	1.350	1.350	
63	प्यारेलाल बल्द सुखलाल रामचरण प्रताप पिस. फदाली नीमाबाई वेवा फदाली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.250	0.250	
		भूमि स्वामी	88	0.250	0.250	
64	भारतसिंह वल्द रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/1	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	93/1	0.460	0.460	
		भूमि स्वामी	129/1	0.180	0.180	
65	प्रमोद बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/2	0.620	0.620	
		भूमि स्वामी	93/2	0.520	0.520	
66	रामप्रसाद वल्द रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/3	0.310	0.310	
		भूमि स्वामी	93/4	0.470	0.470	

		भूमि स्वामी	129/3	0.180	0.180	
67	मुह.सलीम पिता इश्हाक पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.800	0.800	
68	फकीर मुहम्मद बल्द चिरागअली पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/1	0.860	0.860	
		भूमि स्वामी	124	0.540	0.540	
69	कुरेशानी पति फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/2	3.200	3.200	
		भूमि स्वामी	94	0.460	0.460	
70	रुस्तम बल्द फकीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92/3	1.520	1.520	
71	रहीशाबी पत्नि अब्दुल गफार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/3	1.210	1.210	
72	प्रतापसींग बल्द फदाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/5	1.210	1.210	
73	चैनसींग बल्द प्रताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/6	0.400	0.400	
74	प्यारेलाल वल्द सुखलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95/1	1.600	1.600	
75	रूपसींग देवीसींग पिस.दौलतसींग पता सा. खैजरामापी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	0.080	0.080	
76	साजिद वल्द वाजिद पता सा.राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1	0.500	0.500	
77	इसरार वल्दयुसुफ खान पता सा. राहत गढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/2	1.200	1.200	
78	मु.युसुफ वल्द नजर मोहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/3	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	101/1	0.400	0.400	
		भूमि स्वामी	101/2	0.400	0.400	
79	मुह.हमीद मुह.जहीद मुह.शिराज मुह.हबीब पिता हाजी मुहम्मद युसूफ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3	0.550	0.550	
80	भूरेखा अब्दुल राजिकअब्दुल वाजित मुहम्मद अप्सर मुहम्मद मुस्तकीन भूमि स्वामी मुह.वाहिद पिस.हल्कईशकीलाली बेवा हल्कई सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.500	0.500	
		भूमि स्वामी	104	1.600	1.600	
81	अब्दुल गफफार बल्दअब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	1.300	1.300	
		भूमि स्वामी	122/6	0.900	0.900	
		भूमि स्वामी	125/6	1.210	1.210	
82	बाबूलाल वल्द मन्नूलाल पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	114	4.270	4.270	
83	अनवार पिता जहूर उल हक पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.470	0.470	
		भूमि स्वामी	116	0.790	0.790	
		भूमि स्वामी	122/2	0.470	0.470	
		भूमि स्वामी	128	0.810	0.810	

84	अब्दुल सलाम बल्द अब्दुलरसीद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117	0.850	0.850
85	वसीम पिता अब्दुल रसीद पता निवासी ग्राम राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	0.210	0.210
		भूमि स्वामी	121	0.220	0.220
86	हरप्रसाद बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/1	1.610	1.610
87	तुलाराम बल्द हल्का पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/3	0.800	0.800
88	धनाबाई बेवा हल्कई सुनील महेन्द्र वल्द हल्कई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/4	0.800	0.800
89	हरिशंकर वा.उमाशंकर ना.वा.पिस.कैलाश पा.व खुद मां राधाबाई बेवा कैलाश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/5	0.800	0.800
90	डेलनसिंग बल्द घन्सू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/7	1.010	1.010
91	द्रौपतीबाई बेवा सुखलाल पता सा.परासरीखुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/2/1	1.020	1.020
92	रोहित पिता ऋषिराज पता निवासी परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/2/2	1.000	1.000
		भूमि स्वामी	125/3/2	1.000	1.000
93	ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. परासरी खुर्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/3/1	1.020	1.020
94	मु.सगीर बल्द पीर मुहम्मद पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/4	1.620	1.620
95	मु.आजम बल्दअब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/5	0.800	0.800
		भूमि स्वामी	125/7	0.800	0.800
96	चंपाबाई बेवा बाबूलाल भगवानदास बलराम मुन्ना पिस. बाबूलाल नत्थीबाई पुत्रीबाबूलाल पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.030	1.030
97	अब्दुल हबीब वल्द अब्दुल रसीद पता सा.राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	129/2	0.360	0.360
		कुल कित्ता	181	137.270	137.270

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला-सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला-सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 115-अ-82-2017-18-4388

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध के अंतर्गत मौजा भूकावारी पटवारी हल्का नंबर 18 तहसील राहतगढ़ जिला सागर स्थित भूमि अर्जन किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15.05.2018 को जारी की गई थी जिसकी दिनांक 16.05.2019 को बारह मास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अधिनियम 2013 की धारा 19 (7) के तहत जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह विखंडित कर दी गई है परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं। इस प्रकरण में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण बारह मास की अवधि के भीतर धारा-19(1) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है जो धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि बढ़ाये जाने हेतु न्यायोचित कारण है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

प्रीति मैथिल नायकस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन), जिला रतलाम

क्र. -भू-अर्जन-19-प्र. क्र. 01-अ-82-2019-20.-

सार्वजनिक सूचना

रतलाम, दिनांक 6 जून 2019

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "सुण्डी बैराज योजना" तहसील सैलाना जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम घेरपिपली, फतेहपुरिया और राजपुरा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा कमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	श्री भुरा पिता समरा, जाति-गुर्जर, भूमि स्वामी-घेरपिपली।	9/2 में से	0.14	-	0.14	-
2	दिलीप पिता रामसिंह, गुड्डी पिता मोहन व हरकुंवर बेवा मोहन जाति- गुर्जर, निवास-घेरपिपली	08 में से	0.19	-	0.19	-
3	गोपाल पिता कालु ग्राम राजपुरा जाति- राजपुत निवासी शिवगढ ग्राम - राजपुरा	0.3 में से	0.20	-	0.20	-
4	राजेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपुत निवासी- शिवगढ, ग्राम - राजपुरा	4/1 में से	0.04	-	0.04	-
5	गोपाल गौशाला जिला रतलाम, ग्राम - फतेहपुरिया	68 में से 71 में से	- -	0.05 0.10	0.05 0.10	- -
योग		किता 06	0.57	0.15	0.72	-

क्रमांक भू-अर्जन-19-प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-2019-20

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि कय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "माण्डवी तालाब योजना" तहसील जावरा जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम माण्डवी के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम- माण्डवी, पटवारी ह.न. 12

क्रं.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	अकबर खां पिता सुभान खां जाति-पिंजारा निवासी-माण्डवी	1144 में से	0.076	—	0.076	—
2	बालाराम, कचरीबाई पिता भेरू व भागुडी पिता बगदीराम जाति बलाई निवासी-माण्डवी	1158 में से	0.116	—	0.116	—
3	भागीरथ पिता भुवान जाति-डांगी निवासी-माण्डवी	1161 में से	0.092	—	0.092	—
4	अम्बाराम उर्फ अम्बालाल पिता भुवान जाति-डांगी निवासी-मांडवी	1201/1 में से	0.120	—	0.120	—
5	धारा सिंह पिता रुघनाथसिंह व कैलाश कुंवर पति रुघनाथसिंह जाति-डांगी निवासी- मांडवी	1204/2 में से	0.012	—	0.012	—
		1205 में से	0.144	—	0.144	—
6	नागेश्वर पिता भंवरलाल, देव कुंवर बैवा भंवरलाल, मांगीलाल, इंदरसिंह पिता लक्ष्मण, धापुबाई पिता लक्ष्मण जाति-डांगी निवासी-मांडवी	1206 में से	0.056	—	0.056	—
योग		किता 07	0.616	—	0.616	—

क्रमांक भू-अर्जन-19-प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-2018-2019

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "बारोडा में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण" तहसील व जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम बारोडा के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 112-2/2014/सात/2 ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहरस्ताधारकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम- बारोडा, पटवारी ह.न. 06

क्रं.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	मांगुसिंह पिता भुवानसिंह राजपुत ग्राम- बारोडा, तह.व जिला- रतलाम	78 में से	—	0.075	0.075	—

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-खुडैल, जिला इन्दौर

क्र. 382-भू-अर्जन-2019.-

खुडैल, दिनांक 13 जून 2019

प्ररूप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0063 अ-82/2019-20 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाइन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	कपाल्याखेड़ी, प.ह.नं.-69	9/1	0.049
			9/2	0.019
			12/1/2	0.020
			12/2/2	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	कपाल्याखेड़ी, प.ह.नं.-69	13/1	0.034
			20/1/1	0.016
			20/1/2	0.010
			20/2	0.026
			20/1/5	0.017
			20/3/1	0.019
			20/3/2	0.016
			56/1	0.024
			56/5/1	0.029
			96/1	0.007
			68	0.038
			72/1	0.019
			72/2	0.033
			72/3	0.005
			75/2	0.012
			76/1/1	0.014
			77/2	0.014
			76/2/1	0.002
			76/2/2	0.011
			92/1/1	0.019
92/1/2	0.010			
92/2/1/1	0.007			
93/1	0.053			
97/2	0.017			
कुल योग			28	0.558

क्र. 386-भू-अर्जन-2019.—

कमांक- अ-82/..... अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (भ.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडेल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडेल	रामगढ़, प.ह.नं.- 50	40/1	0.005
			41	0.023
			42/1	0.015
			50	0.012
			51	0.014
इन्दौर	खुडेल	रामगढ़, प.ह.नं.- 50	43	0.015
			46/1	0.051
			47	0.009
			132/2	0.014
			139	0.089
			158/3/1	0.010
			158/3/2	0.032
			158/4	0.044
			159	0.031
			169/1/1	0.010
172/1	0.006			
कुल योग			16	0.378

क्र. 398-भू-अर्जन-2019.—

क्रमांक 0006-अ-82-2019-20.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाइन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	धमनाय, प.ह.नं.- 68	42/1	0.017
			42/2	0.008
			77	0.014
			102/1/मिन-1	0.014
			102/2/1	--

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडेल	धमनाय, प.ह.नं.- 68	102/1/मिन-2	0.014
			102/2/2	--
			106/2	0.031
			110/1/1	0.007
			110/1/2/1/मिन-1	0.005
			110/1/2/1/मिन-2	0.006
			110/1/2/2	0.010
			110/1/2/3/मिन-1	0.002
			110/1/2/3/मिन-2	0.002
			110/1/2/4	0.011
			111/2	0.004
			112/2/1	0.014
			112/2/2	0.016
			112/2/4	0.010
			112/2/3	0.011
			112/2/5	0.005
			235/1	0.026
			242/2	0.014
			236	0.010
			237	0.059
			242/1	0.048
			244/1	0.015
			244/2	0.024
			253/2	0.005
257/1	0.024			
257/2	0.028			
259	0.051			
260	0.007			
कुल योग			31	0.512

क्र. 390-भू-अर्जन-2019.—

क्रमांक 0002-अ-82-2019-20.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	उज्जैनी, प.ह.नं.- 67	157/2/1	0.007
			158/1/3/2	0.029
			158/2/2	0.031
			160	0.023
			161	0.056

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
इन्दौर	खुडैल	उज्जैनी, प.ह.नं.- 67	162/2	0.024			
			170/1	0.014			
			170/2	0.051			
			185/1	0.032			
			185/2/मिन-1	0.003			
			186/1	--			
			187/1	0.017			
			18/2	--			
			186/2	0.013			
			187/2	0.005			
			188/1	0.035			
			191/2	0.024			
			192	0.023			
			194/1	0.017			
			194/2	0.009			
			194/3	0.007			
			194/4	0.007			
			कुल योग			20	0.427

क्र. 394-भू-अर्जन-2019.—

क्रमांक 0007-अ-82-2019-20.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	सिन्धीबरोदा, प.ह.नं.- 69	6/2	0.022
कुल योग			01	0.022

क्र. 402-भू-अर्जन-2019.-

क्रमांक 0005-अ-82-2019-20.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में

यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाइन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	हासाखेड़ी, प.ह.नं.-50	111/1/2/मिन-1	0.032
			111/2/1/मिन-1	0.023
			111/3/मिन-1	0.022
			111/4/मिन-2	0.027
इन्दौर	खुडैल	हासाखेड़ी, प.ह.नं.-50	117/5	0.033
			121	0.038
			128/1/1	0.028
			134/3	0.012
			131/2	0.060
			133	0.046
			134/1	0.009
			134/2	0.011
			135/1	0.025
			135/2	0.007
			193/1	0.077
			193/2	0.025
			197/1/2	0.012
			197/3/1	0.007
197/5/मिन-1	0.039			
कुल योग			19	0.533

क्र. 406-भू-अर्जन-2019.—

क्रमांक 0004-अ-82-2019-20.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुडैल, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	गारीपिपल्या, प.ह.नं.-50	240/मिन-2	0.025
			247/1/1	0.026
			247/1/2	0.017
			247/1/3	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	खुडैल	गारीपिपल्या, प.ह.नं.-50	248/2	--
			250/2	0.011
			251	0.014
			261	0.035
			269	0.010
			278/1	0.086
			281/2	0.062
			283/1	0.010
			283/2/1	0.022
			283/2/2	0.020
			284/1/2	0.033
			284/3/2	0.035
			286	0.021
			287/1	0.040
			कुल योग	

प्रतुलचंद्र सिन्हा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 12 जून 2019

पत्र क्र. 213-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“ अनुसूची ”

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम —सैरपुर
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 4.924 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1324	0.077	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	1322	0.001	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	1323	0.053	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	1313	0.080		की माईनर नम्बर 6 निर्माण हेतु.
5	1315	0.058		
6	1296	0.093		
7	1310	0.062		
8	1274/1			
9	1274/2/1	0.240		
10	1274/2/2			
11	1261/1			
12	1261/2/1	0.008		
13	1261/2/2			
14	1262/1			
15	1262/2/1	0.025		
16	1262/2/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	1264	0.009		
18	1263/1	0.028		
19	1263/2			
20	1242	0.070		
21	1245	0.093		
22	1227	0.084		
23	1223	0.025		
24	1225	0.029		
25	1114	0.028		
26	1207/2	0.039		
27	1207/3	0.006		
28	1120	0.020		
29	1119	0.010		
30	1121	0.040		
31	1075/1	0.070		
32	1075/2			
33	1062	0.006		
34	1063	0.054		
35	1060	0.047		
36	571	0.034		
37	569/1350	0.027		
38	1081	0.024		
39	1059	0.030		
40	1052	0.057		
41	1053	0.010		
42	1071/1	0.053		
43	1071/2			
44	1051/1	0.038		
45	1051/2	0.050		
46	1054/2	0.001		
47	1050	0.088		
48	1042	0.001		
49	570	0.007		
50	999/1	0.040		
51	999/2	0.041		
52	993/1	0.001		
53	998/1	0.046		
54	998/2	0.045		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	997/1	0.026		
56	997/2	0.027		
57	997/3	0.027		
58	1111	0.034		
59	1257/4	0.030		
60	1257/2	0.020		
61	1290/4	0.020		
62	1257/5	0.020		
63	1257/3	0.044		
64	1290/1	0.004		
65	1290/2	0.080		
66	1259/1	0.005		
67	1290/3	0.060		
68	1290/5	0.018		
69	1045	0.041		
70	1044	0.028		
71	980	0.092		
72	979	0.018		
73	978	0.020		
74	977	0.024		
75	976	0.001		
76	461	0.043		
77	462	0.071		
78	460	0.048		
79	451	0.071		
80	448	0.004		
81	449	0.027		
82	450	0.009		
83	446	0.047		
84	445	0.006		
85	433	0.159		
86	416	0.193		
87	415	0.007		
88	418	0.003		
89	414	0.101		
90	407	0.015		
91	410	0.058		
92	975/1	0.037		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
93	406	0.045		
94	388	0.019		
95	377	0.005		
96	375	0.165		
97	372	0.012		
98	371	0.028		
99	385	0.019		
100	390	0.105		
101	384	0.039		
102	383	0.008		
103	374	0.014		
104	369	0.055		
105	355	0.078		
106	370	0.096		
107	368	0.076		
108	357	0.003		
109	572	0.028		
110	573/1	0.003		
111	576/1	0.030		
112	339/1	0.016		
113	339/2			
114	337	0.019		
115	974	0.001		
116	576/4	0.013		
117	703	0.078		
118	704	0.002		
119	698	0.011		
120	699	0.021		
121	689	0.004		
122	700	0.007		
123	690	0.015		
124	691/1	0.025		
125	691/2			
126	760	0.026		
127	762	0.057		
128	769	0.004		
129	576/3	0.156		
130	1074/1	0.027		
131	1074/2			
132	1105/1	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
133	1105/2	0.050		
134	376	0.001		
135	389	0.020		
	योग . .	4.924		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 215-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—पोखड़ौर
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.945 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12/1	0.013	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	12/2	0.030	संभागा सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	13	0.017	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	14	0.003		की माईनर नम्बर 4 निर्माण हेतु.
5	17	0.089		
6	52	0.016		
7	54	0.053		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	55	0.051		
9	56	0.004		
10	57	0.028		
11	58	0.019		
12	59	0.042		
13	60	0.009		
14	61/1	0.129		
15	62	0.044		
16	67	0.009		
17	72	0.018		
18	73/1	0.007		
19	157	0.070		
20	158	0.088		
21	162	0.216		
22	164	0.038		
23	172	0.035		
24	173	0.001		
25	170	0.059		
26	233	0.046		
27	234	0.037		
28	264	0.079		
29	265	0.0520		
30	260	0.062		
31	266	0.010		
32	259	0.046		
33	267	0.001		
34	257	0.032		
35	256	0.032		
36	254	0.010		
37	340	0.028		
38	341	0.020		
39	342	0.028		
40	343	0.018		
41	344	0.018		
42	346	0.010		
43	350/1	0.034		
44	171/1	0.065		
45	69/1	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	69/2	0.065		
47	263	0.064		
	योग . .	1.945		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 217-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—सजहा खुर्द
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.219 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	117	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	118	0.022	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	119	0.006	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	120	0.006		की माईनर नम्बर 5 निर्माण हेतु.
5	121	0.007		
6	122	0.010		
7	113	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	112	0.007		
9	110	0.023		
10	111	0.013		
11	106	0.009		
12	107	0.018		
13	98	0.002		
14	99	0.024		
15	100	0.027		
16	96	0.006		
17	95	0.005		
18	93	0.005		
19	92	0.009		
	योग . .	0.219		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 219-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—अमरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.735 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	222	0.022	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	221	0.094	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	220	0.028	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	219	0.009		की माईनर नम्बर 8.
5	224	0.127		
6	225	0.086		
7	226	0.024		
8	238	0.002		
9	227	0.026		
10	228	0.079		
11	206	0.027		
12	203	0.060		
13	202	0.001		
14	185	0.048		
15	187	0.033		
16	188	0.007		
17	182	0.036		
18	177	0.036		
19	161	0.006		
20	176	0.032		
21	169	0.035		
22	170/1	0.038		
23	170/2			
24	171/1	0.042		
25	171/2			
26	127/1	0.051		
27	127/2			
28	126/1	0.038		
29	126/2			
30	124	0.006		
31	125/1	0.041		
32	96	0.060		
33	98	0.042		
34	54	0.065		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	55	0.044		
36	56	0.024		
37	57	0.036		
38	58	0.036		
39	60/1			
40	60/2	0.141		
41	60/3			
42	19	0.001		
43	217	0.002		
44	168	0.002		
45	92	0.044		
46	7	0.004		
47	259	0.060		
48	257/1	0.070		
49	95	0.070		
योग . .		1.735		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 221-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—पुजौही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.157 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	296	0.030	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	294	0.050	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	295	0.005	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	354	0.114		की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.
5	353	0.080		
6	352	0.060		
7	359	0.003		
8	360	0.051		
9	361	0.014		
10	363	0.155		
11	343/1	0.115		
12	343/2			
13	344	0.066		
14	341	0.030		
15	106	0.009		
16	100	0.015		
17	105	0.110		
18	99	0.058		
19	82	0.046		
20	83	0.030		
21	77	0.045		
22	300/2	0.025		
23	75	0.046		
योग . .		1.157		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 223-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—बहरी
 (ग) ग्राम का नाम—सजहा कला
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.606 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	252	0.072	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	253	0.053	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	251	0.042	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	245	0.046		की माईनर नम्बर 5 निर्माण हेतु.
5	250	0.002		
6	241	0.014		
7	232	0.018		
8	233	0.035		
9	234	0.030		
10	230	0.044		
11	229	0.028		
12	202	0.001		
13	204	0.088		
14	205	0.029		
15	195	0.030		
16	177	0.059		
17	196	0.014		
18	175	0.001		
	योग . .	0.606		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 225-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—झुमरिया
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.014 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	276/1	0.014	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	276/2		संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	276/3		(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.
योग . .		0.014		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 227-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय, की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

“अनुसूची”

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—मरसरहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 5.973 हेक्टर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	115	0.110	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	117	0.030	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	121	0.010	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	229	0.220		की माईनर नम्बर 8 निर्माण हेतु.
5	240/944	0.180		
6	241	0.100		
7	242	0.070		
8	244	0.008		
9	131	0.002		
10	433	0.007		
11	53	0.060		
12	54	0.035		
13	125	0.001		
14	61	0.001		
15	62	0.340		
16	120	0.180		
17	119	0.150		
18	438	0.020		
19	92	0.100		
20	93/1	0.140		

21	428	0.015
22	250	0.350
23	265	0.130
24	266	0.150
25	489	0.170
26	500	0.110
27	506	0.230
28	507	0.040
29	504	0.001
30	511	0.015
31	503/1	0.040
32	515/1	0.160
33	513	0.020
34	563	0.090
35	565	0.001
36	569	0.010
37	568	0.300
38	571	0.100
39	580	0.080
40	581	0.070
41	582	0.015
42	579	0.110
43	578	0.270
44	573	0.070
45	559	0.040
46	557	0.090
47	556	0.100
48	554	0.200
49	555	0.060
50	900	0.021
51	897	0.100
52	896	0.050
53	895/1	0.080
54	895/2	0.040
55	893	0.150
56	891	0.085
57	889	0.160
58	937/968	0.040
59	937/970	0.115
60	937/969	0.115
61	937	0.115

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62	108	0.001		
63	566	0.100		
	योग . .	5.973		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 532-भू-अर्जन-

रीवा, दिनांक 12 जून 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने एक से चार में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने छः में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने पांच में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहटा	0.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर रीवा (म. प्र.)	त्योंथर बहाव योजना के महाना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2019

क्र. 3933-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-तिघरा बिसाला प.ह.नं.-29 ब.न.-117 रा.नि.मं.-चांद.	रकबा-0.528 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.
				पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब-माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3934-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	ग्राम-तिघरा चम्पत प.ह.नं.-29 ब.न.-116 रा.नि.मं.-चांद.	रकबा-01.850 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब-माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3935-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं को बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिंदवाड़ा	चांद	ग्राम-चिखलीखुर्द, प.ह.नं.-29/17 ब.न.-86 रा.नि.मं.-चांद.	रकबा-0.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा.
				(6) पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर की 5 एल माईनर की 1 एल सब-माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांथी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3936-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/w-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेल्वे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) छिंदवाड़ा	(2) पाण्डुर्णा	(3) ग्राम-करव्हार, प.ह.नं.-63, ब.न.-36 रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा.	(4) रकबा-0.449 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा.	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3937-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/w-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेल्वे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) छिंदवाड़ा	(2) पाण्डुर्णा	(3) ग्राम-बम्हणी, प.ह.नं.-53, ब.नं.-263, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा.	(4) रकबा-0.011 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा.	(6) भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी समय पर किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3938-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/w-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पारडी, प.ह.नं.-61, ब.नं.-237, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा.	रकबा-0.119 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा.	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 3939-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/w-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-दाढीमेटा, प.ह.नं.-63, ब.नं.-136, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा.	रकबा-0.133 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.
				(6)
				भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2019

पत्र क्र. 594-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	हरदुवा	3.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 596-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खडौरी कला	2.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 598-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	1.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 600-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गड़रिहान	4.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 602-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	दुनाव	5.100	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 604-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पिपरहा	1.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 606-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खडौरी खुर्द पवई.	3.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 608-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पथरौड़ा	7.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 610-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	ऐंझी	1.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 612-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पड़रिया	3.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 614-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	उदका	4.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 616-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) करही कला	(4) 4.000	(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 618-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) अंधरवार	(4) 9.300	(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 620-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बिहरा	8.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 622-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अबेर	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 624-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	सेमरी	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 626-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मौदहा	4.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगावां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 628-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगावां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	पटना खुर्द	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 630-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	टिकुरी	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 632-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि, पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	खम्हरिया नवाजी	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलौद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 7 जून 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 57-अ-82-2017-18-3083.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—बराछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—18.173 हेक्टर डूब एवं नहर क्षेत्र.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

70/7

0.304

348/1

0.459

348/2

1.600

95

0.056

96

1.109

349/1/1/ख

0.120

98/1

0.049

98/2

0.049

2913

0.143

86/1

0.247

78/1

0.080

91/4/क

0.506

94/1/ख

0.224

86/2

0.249

91/4/ख

0.506

(1)

(2)

78/2

0.080

86/3

0.247

78/3

0.080

76

0.081

82/4

0.700

77

0.302

90

0.178

87

0.344

82/2/क

0.486

530/7

0.027

545/1/ख

0.013

537

0.016

529

0.073

538

0.025

540/1

0.013

519

0.050

540/3

0.092

540/4

0.016

541/1

0.020

540/2

0.021

544/2

0.016

517

0.067

545/2/ख

0.016

545/2/ग

0.018

545/2/घ

0.012

545/3/च

0.028

546/1

0.051

547/1

0.069

88

0.263

75/2/ख

0.150

75/3/ख

0.150

70/4/ख

0.202

75/3/क

0.160

70/4

0.203

(1)	(2)	(1)	(2)
75/2/क	0.150	884	0.032
71/3	0.100	883	0.031
73	0.776	455/5	0.015
89	0.275	455/6	0.026
91/1	0.387	455/7	0.015
91/3	0.708	456/1क	0.131
99/2	0.032	457	0.051
98/2	0.085	2033	0.021
85/3	0.250	444	0.080
98/1	0.028	491	0.032
85/2	0.250	477	0.018
70/6	0.500	487	0.055
453/2	1.437	442/1/क	0.019
454/2	0.180	442/1/ख	0.019
454/3	0.200	442/1/ग	0.019
455/2	0.015	442/2	0.019
455/3	0.015	441	0.012
455/4	0.015	360/1/क	0.040
500/1	0.039	360/1/ख	0.018
500/4	0.010	360/1/ग	0.013
494/1	0.030	360/1/घ	0.080
493	0.030	438/1	0.046
492	0.049	466/1/क	0.040
819	0.103	466/2	0.040
478	0.048	465/2	0.100
480	0.016	530/4	0.054
418	0.008	874	0.035
818	0.047	875	0.047
802/1	0.033	878	0.013
801	0.011	891	0.017
802/2क	0.019	893	0.053
800/3/क/2	0.033	1164	0.036
800/3/क/3	0.017	1165	0.012
803/1	0.136	1168	0.032
885	0.046	1170	0.037
		2050/1	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
1964/1	0.018	15/5	2.658
2040/1	0.018	16	0.129
2039	0.008	17	1.414
2037/1	0.040	18	1.200
2038	0.053	28/4	0.240
2081	0.010	29/1	0.720
94/3	0.650	30/1	0.050
कुल 127 किता कुल रकबा . .	18.173	30/2	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बराछ जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 58-अ-82-2017-18-3084.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
 (ख) तहसील—जयसिंहनगर
 (ग) ग्राम—बरकछ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—13.487 हेक्टर डूब क्षेत्र.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/1	0.039
8/2	0.200
8/3	0.200
8/4	0.200
8/5	0.200
15/1	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बराछ जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जून 2019

क्र. 534-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—लूक न. 4
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.046 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1/6	0.046
योग . . .	<u>0.046</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2019

क्र. 3973-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौद.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बतरी, प.ह.नं.-34,
ब. नं.-187, रा. नि. मं.-चौद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.149
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
52/2	0.177
53/1	0.119
52/1	0.182
50, 56	0.074
58, 59	0.096
69/1	0.006
70/1	0.070
71/1	0.045
70/3	0.036
71/2	0.020
72/3	0.020
72/1	0.048
73/1, 64/2	0.010
77/1	0.040
75/3, 76/3	0.006

(1)	(2)	(1)	(2)
75/4, 76/4	0.045	14/3, 14/4, 169/1	0.045
107/1, 116/1	0.044	167/1-3	0.144
107/5, 116/5	0.044	147/5, 148/4, 149/1	0.088
107/6, 116/6	0.044	128/1	0.048
108/4, 109/66, 115/7	0.028	147/7, 149/2	0.088
108/3, 109/4, 115/5	0.025	128/2	0.048
110/2, 111/2, 112/2,	0.053	148/1	0.324
113/2, 114/2, 115/4		148/3	
108/1, 109/1, 115/1	0.064	योग . .	03.149
109/2, 110/1, 111/1,	0.056		हेक्टेयर एवं
112/1, 113/1, 114/1,			प्रस्तावित
115/2			क्षेत्रफल पर
132/3	0.012		आने वाली
132/6	0.020		सम्पत्तियां.
132/4	0.012	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक	
132/8	0.019	प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	
131/1, 145/1	0.062	है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट मुख्य	
132/1, 132/2	0.035	नहर के अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली	
144/2/1, 259/2/1	0.063	माईनर/सब माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के	
192/4, 193/3, 194/3,	0.110	अर्जन के संबंध में.	
195/3, 196/3, 197/4,			(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में
198/3, 199/4,		हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी	
217	0.180	वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं	
192/3, 193/1	0.052	म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	
192/1, 194/1, 195/1,	0.040	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
197/1, 220			नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-
192/2, 193/2, 194/2,	0.024	चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय	
195/2, 196/1, 197/2,			पर किया जा सकता है.
198/1, 199/3	0.015	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे	
196/2, 197/3,			(प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन
198/2, 199/1		परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक-1 चौरई, जिला	
14/12, 169/2	0.010	छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा	
201/2, 216/2	0.153	सकता है.	
211/2, 212/1, 213,	0.105	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के	
214, 215			नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय
14/8, 14/9	0.070	अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग	
14/10	0.030	क्रमांक-1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर	
		किया जा सकता है.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

फा.क्र.EP.27-2014-चार-167.- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 27/2014/चार (राम अशोक शर्मा एवं अन्य विरुद्ध रामलल्लू बैस) के संबंध में पारित निर्णय बाबत भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 82/म.प्र.-लो.स./(27/2014)/2019, दिनांक 31 मई 2019 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

प्रमोद शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2019-10 ज्येष्ठ, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-लो.स.-(27/2014)/2019.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, राम अशोक शर्मा एवं अन्य द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 27 (राम अशोक शर्मा एवं अन्य विरुद्ध रामलल्लू बैस) में मध्यप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 08-04-2019 के निर्णय/आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
हस्ता./-
(एस. बी. जोशी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
New Delhi, the 31st May, 2019-10 Jyaistha, 1941 (SAKA)

NOTIFICATION

NO. 82-MP-HP-(27/2014)/2019.- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order dated 08 April 2019 Jabalpur Bench of Honab'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 27 of 2014 (Ram Ashok Sharma & Another Vs. Ramlallu Bais) filed by Ram Ashok Sharma & Another.



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

E.P. No. ...22... of 2014

Petitioners : 1. Ram Ashok Sharma, son of Shri Surendra Prasad Sharma, aged about 60 years, resident of village Jamua, Post Baidhan, Tahsil and Distt. Singrauli.

2. Satyanarayan Singh, son of Shri Vishwanath Sharan Singh, aged about 73 years, resident of village Karkosha, Post Pachor, P.S. Baidhan, Tahsil and Distt. Singrauli

Versus

Respondent : Ramlallu Bais, son of Late Mayaram Bais, aged about 61 years, resident of Medhoul Ward No. 10, Tansen, Post Morba, Tahsil Singrauli, Distt. Singrauli.

*Presented by
Shri Ram Ashok Sharma
and Satyanarayan Singh
Petitioners who is identified
by Shri B.K. Upadhyay, J.P.
at 6 PM on 22/1/14, 9/14
Properly drawn up & stamped
within time and
this accounted by
receipt number of
same typed list
of documents
registered address
PP and receipt of
Security deposit of
Rs 2000/-*

**ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 READ WITH SECTION 81
OF REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951**



The Petitioners, named above, beg to file this election petition on the following facts and grounds :

FACTS

1. That the petitioners are the citizens of India and are permanently residing on the address as mentioned in the cause title hereinabove.
2. That the Petitioners challenge the election of the respondent as Member of State Legislature from Singrauli constituency. In M.P. General Elections, 2013.

It is submitted that the Election Program for M.P. General Elections, 2013 for State Legislative Assembly was as under :

- 7-11-2013 to 8-11-2013 For submission of Nominations papers
- 9-11-2013 to 10-11-2013 Scrutiny of Nomination Papers
- 11-11-2013 Till 3 P.M. for withdrawal of candidature
- 11-11-2013 After 3 P.M. allotment of symbol.
- 25-11-2013 Voting



22 JAN 2014

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**Election Petition No.27/2014****Ram Ashok Sharma and another..... Petitioners****Versus****Ram Lallu Bais..... Respondent****For the Petitioner : Mr. Sanjay K.Agrawal, learned Advocate
with Ankita Khare, learned Advocate.****For the Respondent : Mr. R.P.Agrawal, learned Senior Advocate
with Mr. Sharad Gupta, learned Advocate.**

Present: HONOURABLE MR.JUSTICE ATUL SREEDHARAN

ORDER**(8.4.2019)**

This election petition under judgment has been filed by the Petitioners Ram Ashok Sharma and Satyanarayan Singh.

The sole Respondent is Ram Lallu Bais, who is the sitting

member of the Legislative Assembly from Singrauli

constituency. The Petitioners are voters of the Singrauli

constituency. The Respondent is the returned candidate having


been declared elected from the Singrauli constituency as a

Member of the Legislative Assembly. The Respondent has been

declared elected having secured 47,556 votes, whereas his

immediate rival from the Indian National Congress Party Mr.

Bhuvneshwar Prasad Singh had secured 37,271 votes.



2. The election of the Respondent as the returned candidate has been challenged under section 100(1)(d)(iv) of the Representation of the Peoples Act, 1950 (hereinafter referred to as "the Act").
3. The crux of the Petitioners' case is that the Respondent submitted a false declaration in his affidavit, which he submitted along with his nomination papers, by not disclosing his properties. It is also challenged on the ground that the Respondent has not disclosed correctly his educational qualifications in the affidavit.
4. The Petitioners have stated in paragraph 5 of the election petition that they are the voters of the Singrauli constituency and that the name of the Petitioner No.1 is recorded in Part I of the voters list of village Jamua, Tahsil Singrauli, and finds its place at serial number 41. The Petitioner No.2 finds his name recorded in Part I of the voters list of village Karkosha, Tahsil Singrauli, and finds its place at serial number 92. The Petitioners have stated that the Respondent has made a false declaration in the affidavit submitted by him along with his nomination papers as he has not fully disclosed the properties owned by him.
5. In paragraph 7 of the petition, the Petitioners state that in the year 2003, the Respondent was elected as a Mayor of Municipal Corporation, Singrauli, and that the Respondent has ancestral properties at Ranhor, Tahsil Dudhi, district Sonbhadra. In paragraph 8, the Petitioners state that in the affidavit, which is

filed by the Respondent along with his nomination papers for the elections which were held in the year 2013, the Respondent has shown that the houses situated at village Medhauili, district Singrauli, and House No.61, situated at village Medhauili are his ancestral properties. This declaration, according to the Petitioners, is a false statement.


6. In paragraph 9 of the petition, the Petitioners state that the Respondent had constructed these houses ten years back and that the total cost of construction of both the houses is approximately rupees two crores and that the Respondent has disclosed value of the houses as rupees one crore and seventy lakhs. It is also alleged that these houses were constructed by the Respondent himself and that he had no legal income to invest such a huge amount. Further, in order to raise a doubt that the Respondent indulged in corruption, the Petitioners state that the Respondent who was elected as a Mayor of the Municipal Corporation of Singrauli in the year 2003 and thereafter, was also elected as a Member of the State Legislative Assembly from Singrauli constituency in the year 2008. The Petitioners state that in the ten years that the Respondent was a public servant in his capacity as a Mayor and MLA, he was required to explain his assets and that it is clear from the income tax returns of the Respondent that he did not have the requisite income to invest approximately rupees two crores for the construction of houses. So, the Petitioners would want this court to draw the inference that the Respondent had accumulated vast amounts of money illegally during his tenure

as public servant, initially in the capacity of Mayor and thereafter as an MLA. Thereafter, the Petitioners have stated that the disclosure of the houses as his ancestral properties had materially affected his election as he had tried to project himself to be an honest person, whereas he had accumulated huge assets which cannot be said to be legal as otherwise, nothing had prevented the Respondent from disclosing the same in his income tax returns.

7. Thus, it is alleged by the Petitioners in paragraph 9 of the election petition that the houses were duly constructed by the Respondent and were not his ancestral properties as the Respondent had started paying the property tax only from the year 2004.
8. In paragraph 10 of the election petition, the Petitioners have alleged that the Respondent "is not literate" and he has given false information in the affidavit which he had filed along with the nomination papers for the elections in 2013. The Petitioners have submitted that the Respondent has stated in his nomination paper that he is a graduate from Kalavidhi University, Singrauli, in the year 1984. According to the Petitioners, the affidavit of the Respondent, which they averred to have downloaded from the official website of the Election Commission for the State of Madhya Pradesh, reflects his educational qualification as graduate, *Uttama*, Kalavidhi College, Singrauli, 1984 whereas, in the affidavit which the Respondent had filed along with the nomination papers for the State Assembly Election of 2013, the Respondent is stated to

have shown his educational qualification as *Madhyama*, Hindu University, Allahabad (U.P.). The Petitioners have further stated that in column 12, the Respondent has shown his educational qualification as *uttama*, Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya, Allahabad. The Petitioners have stated that the said University does not exist as the list of recognized universities issued by the UGC does not show any university under the name and style of the Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya, Allahabad. The Petitioners have further stated that the course of *uttama* and *madhyama* are not the recognized courses. It is further submitted that as per the information collected by the Petitioners, the Respondent has allegedly not even passed Class Vth examination. This contention that the Respondent has not even passed the Vth Standard was abandoned by the Ld. Counsel for the Petitioners in the course of arguments and, therefore, does not merit any reference to its contents.

9. In paragraph 12 of the petition, the Petitioners alleged that the Respondent is running a college in the name and style of Mayaram Degree College, Jayant Singrauli Main Road, Singrauli. It is alleged by the Petitioners that the college was constructed by the Respondent himself. Likewise, it is further alleged that the Respondent had constructed Mayaram Law College. According to the Petitioners, these colleges are in the name of the late father of the Respondent, namely Shri Mayaram. The Petitioners alleged that approximately rupees four crores were invested by the Respondent in these



institutions which he has not disclosed as being part of his assets in the affidavit which he has filed along with the nomination papers.

10. Paragraphs 13 to 20 of the election petition has been abandoned by the Petitioners in the course of arguments. The said paragraphs refer to alleged corrupt practices indulged in by the Respondent in the course of the elections. As the same are abandoned, and no evidence has been led to establish the same, there is no necessity to dilate on the particulars stated in those paragraphs.

11. The Respondent has filed his written statement in the petition and has denied the allegations levelled against him in the election petition. The Respondent has not disputed the contents of paragraphs nos.1, 2, 3 and 4 of the election petition. Thereafter, from paragraph 5 onwards the Respondent has denied or disputed the allegations levelled against him by the Petitioners. On 02/07/14, issues were framed by this court which are as under:

S.No	Issue	Finding
1	Whether Respondent has given false declaration in his affidavit which he had filed along with nomination paper?	No
2	Whether Respondent in his affidavit has suppressed the material fact in regard to allotment of house LIG No.6 in Special Area Development Authority, Sidhi by making false declaration to Special Area Development Authority, Sidhi?	Not Proved as issue abandoned by Petitioners.
3	Whether Respondent has constructed a college in the name	Not Proved as issue

	and style of Mayaram Degree College and Mayaram Law College but his fact has not been disclosed in his affidavit?	abandoned by Petitioners.
4	Whether the Respondent has given false declaration about his educational qualifications in his affidavit?	Not Proved as issue abandoned by Petitioners.
5	Whether false declaration of the facts and suppression of the facts in affidavit, has materially affected the election of Respondent?	No
6	Whether Returning Officer has improperly accepted the nomination paper of Respondent?	No
7	Whether the Respondent was involved in corrupt practices and had distributed money, liquor, sarees, silver payal etc., to the voters and had purchased them?	Not Proved as issue abandoned by Petitioners.
8	Whether Respondent had already sold the house LIG No.6 to Smt. Abha Singh W/o. Ramanuj Singh vide registered sale deed dated 10/08/2010?	Not Proved as issue abandoned by Petitioners.
9	Whether the Respondent is not the owner of Mayaram Degree College and Law College?	Not Proved as issue abandoned by Petitioners.
10	Whether Petitioners have not raised any objection regarding affidavit and declaration submitted by Respondent before Returning Officer at the time of acceptance of nomination paper? Effect?	No
11	Relief and Costs?	No order as to costs.

12. Thereafter, in compliance of the order dated 28.3.2016 an additional issue was also framed which is;


S.No.	Additional Issue	Finding
11	Whether the declaration made by the Respondent in his affidavit submitted along with the nomination papers for the elections held in the year 2013 to the effect that the house situated at village Medhauri and house No. 61 situated at Medhauri are his ancestral properties, is false?	No

13. This court shall now enter into a detailed examination of the evidence adduced so as to conclude whether the Petitioner has established his case.

Evidence by way of deposition on behalf of the Petitioners

14. Ram Ashok Sharma (P.W.1) is the first Petitioner. This witness states that he knows the Respondent and that the Respondent had stood for election on a ticket given by the Bhartiya Janata Party in the year 2013 for elections to the State Legislative Assembly. In paragraph 3 of the examination-in-chief, this witness states that as per his knowledge and information received by him, the information disclosed by the Respondent in the affidavit accompanying his nomination form were incorrect. The statements of this witness in paragraphs 4 and 5 of his depositions are not essential to be referred to as the fact that the said statement proposed to establish, has been abandoned by the Petitioners. In paragraph 6, this witness states that the Respondent was the President of the late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti and that he had constructed the Mayaram Degree College on plot No.61/1A in village Medhauri. He further states that the value of the said building today is about rupees four crores. The witness states that details relating to the said expenditure has not been disclosed by the Respondent in the affidavit in support of his nomination papers.
15. He further states that he had procured documents in relation to the said allegation under the R. T.I. Act, which he has filed along with his election petition. However, it is essential to state here

that the said document has not been exhibited by the Petitioners and therefore cannot be considered by this Court. In paragraph 7 of his deposition, this witness states that according to his knowledge, the Respondent has not given correct information relating to his educational qualification in the affidavit accompanied by his nomination form. He further states that Ram Lallu Bais, who stood as a candidate in the year 2008 State Legislative Assembly elections, had given his educational qualification in his nomination form as *Uttama Arts*, graduating from Law College, Singrauli. In 2013, in the affidavit accompanying the nomination form, the Respondent has declared himself to be a graduate having done *madhyama* from the Hindi Vishwavidyalaya in Uttar Pradesh. He has stated that the said degree *uttama* from Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, is not recognized. Thus, the witness states that the Petitioner has stated that he has completed *madhyama* course in his affidavit accompanying the nomination form which he filed in 2013 and that he had passed *uttama* from the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, in 2008 which is at variance. He further states that both these courses i.e. *uttama* and *madhyama* are not recognized by the University Grants Commission.




16. In paragraph 8 of his deposition, the witness once again says that according to his knowledge, the Respondent has not even passed Class V. In this regard, the witness further states that in a PIL filed by one Shekhar Bharti Vishwakarma before this court in the year 2009 challenging the act of the Respondent in

applying for a LIG house, in that writ petition the Respondent is stated to have filed a certificate stating that he had passed Class V from Primary School Medhauli in the year 1960. However, the witness states that when he went to the Primary School Medhauli in search of the said document, he came to know that the Respondent did not pass Class V from there. The witness states that he had filed the photo copies relating to the said documents along with the petition. Under the circumstances, he says that the Respondent has given false information in his affidavit with regard to his education where he has stated that he is a graduate.

17. In paragraph 9 of the examination-in-chief this, witness states that the Respondent has built two houses in village Medhauli, district Singrauli, which according to the Respondent are ancestral properties, whereas the said houses have been built by the Respondent himself about ten years back at a cost of rupees two crores whereas the Respondent has shown the cost of these houses as amounting to rupees one crore seventy lakhs, which is less than the actual cost. In paragraph 10, this witness has further stated that those houses are the self-acquired property of the Respondent. He further states that the income revealed by the Respondent in his income tax returns are not adequate enough for the Respondent to acquire the two houses worth rupees 2 crores. It would be relevant to mention here, that this allegation is unsubstantiated by any documentary evidence to establish that the cost of the said properties are two crores. In fact, the Petitioner has stated in paragraph 9 of the election

petition that the ".....total cost of construction of both the houses is approximately 2 crores" which itself would reveal that the figure of two crores stated by the Petitioners is speculative and the cost of the houses declared by the Respondent as rupees one crore and seventy lakhs is, in terms of approximation, close to rupees two crores.

18. Paragraph 11 of the statement pertains to corrupt practices, which is already been given up by the learned counsel for the Petitioner. Under the circumstances, this Court refrains from referring to those parts of the statement of the witness pertaining to corrupt practices. In cross-examination, this witness has admitted that the Mayaram College is administered by the late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti. However, he denies the suggestion that the property on which the college stands belongs to the society and not to the Respondent. With regard to the knowledge of this witness about the affiliation of the law and arts college at Singrauli to the Hindi Sahitya Sammelan Allahabad, this witness states that he has no personal knowledge about the same. With regard to the details of the construction of the Respondent's house, this witness states that he has no information as to when these houses were constructed. The rest of the cross-examination of the Petitioner is not very relevant as he has generally denied suggestions put to him with regard to the properties acquired by the Petitioner and also with regard to his educational qualifications. The important crux of his deposition is that the Petitioner has not got a single piece of document exhibited in the course of his



testimony. Even those documents, which have been filed along with the petition, have not been exhibited in the course of his testimony.

Evidence by way of deposition of P.W.2, Krishnanand Jaiswal

19. This witness has testified in relation to the alleged corrupt practices indulged in by the Respondent which has already been abandoned by the Petitioner and, therefore, there is no relevance or referring to the statement of this witness and therefore, this court is not referring to the same. The same is the case with P.W.3

Evidence by way of deposition of P.W.4 (Petitioner No.2)

20. This witness's statement is similar in sum and substance to that of P.W.1 and has reiterated almost the same instances as P.W.1. It is also important to observe here that this Petitioner also got proved the voters list which is Ex. P/5 to show that his name is mentioned in the same. Besides that, this witness has also not got proved the documents which are relevant to substantiate the charge against the Respondent.

Evidence by way of deposition of P.W.5

21. P.W.5 is Milind Dake, who at the material point of time was on the post of Assistant Returning Officer in Constituency No. 80 Singrauli. He has stated that the Respondent was a candidate of the BJP from the said constituency. He has exhibited the


Respondent's nomination form and documents, filed by the Respondent. The same have been proved as Ex. P/6. In his cross-examination, this witness says that at the time of filing the nomination, there were no objections preferred by any one with regard to the candidature of the Respondent.

22. Maqbool Khan, witness for the petitioner is the Chief Municipal Officer of the Municipal Corporation, Sidhi, and has stated that in their official records there is a LIG House No.6 which has been allotted in the name of the Respondent Ram Lallu Bais in Deen Dayal Colony and that the said house is still in the name of the Respondent. P.W.6 is Ajay Kumar, an LDC from the UGC, who has testified that in the list of affiliated Universities, Hindi Sahitya Sammelan Allahabad is not listed.

23. P.W.7 is Rakesh Kumar, an Income Tax Officer from Rewa posted in the Office of the Ward No.2. He has proved the income tax assessment documents pertaining to the Respondent of the year 2008-09 till 2013-14. The returns of the Respondent pertaining to the year 2008-09 is exhibited as Ex.P/8, for the year 2009-10 as Ex.P/9, for the year 2010-11 as Ex.P/10, the year 2011-12 as Ex.P/11, for the year 2012-13 as Ex.P/12 and finally for the year 2013-14 as Ex.P/13.

This witness states that the said documents are available on the website of the department and that he has downloaded the same information from the website.

It is relevant to point out here that there is no certification under section 65-B of the Evidence Act




from the side of this witness and therefore the said documents are not being considered.

24. P.W. 8 is Gulab Singh. He is the Assistant Teacher at the Government Primary School at Medhauli, District Singrauli. Interestingly, this witness has been examined both as P.W.8 and D.W.2. As P.W.2, he has produced before this court the admission-register of the Government Primary School, Medhauli, between 26/12/1956 and 01/07/1964, marked as Article A-1, which only refers the date on which a student joins the school. On the basis of the said register, this witness states that at serial number 85 of Ex. P/14 between marks "A" to "A" are the details pertaining to the Respondent. He also states that the Respondent left the school on 31/03/1956. This witness states that it is correct to suggest that there are no columns in Article A-1 (admission-register) in which it is disclosed as to which class the student has passed. Gulab Singh has once again been examined before this court but this time, however, as D.W.2 on 07/03/17. In paragraph 3 of his examination-in-chief on behalf of the Respondent, he has stated on the basis of record that the Respondent passed Class V in February 1964.

25. P.W. 9 is Bhupendra Singh. He is a Patwari of Medhauli village. He has produced the original Khasra Panchshala of the year 2010-11 till 2014-15. This witness states that in Ex. P/15, column No.3, Khasra No.61/2-kha, in a portion marked "B" to "B", it is noted "late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti, Medhauli" through its President, Lallu Ram Vaishya. In the cross-examination, this witness clearly states that the land

on Khasra No.61/2-kha, belongs to late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti, Medhauli, who is the land owner.

26. P.W.10 is Yashveer Singh Tomar. In his examination-in-chief he says that he was the Tahsildar at Waidhan, District Singrauli. He has produced before the Court, the affidavit given by the Respondent No.1 along with his nomination form dated 04/11/08. The said document has been marked as Article-A. This witness has clarified that the said affidavit was not produced along with the nomination form on 04/11/08 but however, was produced on 05/11/08. On Article-A on portion marked A-A, this witness states it is the signature of the then SDO K.D. Tripathi, who was the Returning Officer. He further states that he was able to recognize the signature of Mr. K.D. Tripathi as he has worked under him. No questions have been put in cross-examination of this witness.
27. D.W.1 Ram Lallu Vaishya. This Respondent says that he has been in the political arena since the year 1980-81. In the year 2004, as a candidate of the Bhartiya Janata Party (BJP), he won the election to the Municipal Corporation and was elected as a Mayor. He further states that in the year 2008 he was a candidate of the BJP and contested the election from the Singrauli constituency of the Vidhan Sabha, in which he defeated the candidate of the Indian National Congress (INC) whose security deposit was also confiscated. Thereafter, he once again won the election to the Vidhan Sabha in the year 2013 from the Singrauli constituency. He states that he has studied in the Government Primary School at Medhauli till 1.7.1964




from the year 1956 onwards and he has passed Class V from there. He has filed the original certificate to that effect which is Ex.D/1. This court has retained a copy of the same in its record, which is marked as Ex. D/1-C and the original was returned to the Respondent after comparing it with the copy.

28. D.W. 1 further states that after leaving the Government Primary School at Medhauli, the Respondent went to the Government Higher Secondary School at Waidhan and took admission there on 01/07/1964. He studied there only for three months and from 30/09/1964 till 1966 he studied at the Government Middle School, Shahpura, from Class VI to Class VIII. He has produced the original certificate, which is marked as Annexure D/2, and its copy has been marked as Ex. D/2-C. He further states that he had taken the examination of the *Madhyama Visharadh* in the year 1982, which was conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, from the Kala Vidhi Mahavidyalaya at Singrauli. He stated that he passed the said exam and produced the original mark-list, which is Ex. D/3 and its photocopy is marked as Ex. D/3-C. In the year 1987, he is stated to have passed the *Uttama* exam conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, and the original mark-list has been marked by this court as Ex. D/4 and its photocopy as Ex. D/4-C. In paragraph 5 of his in-chief, he states that his father was a farmer and that he passed away in the year 1955-56. He states that his father had about 112 acres of land with him. The land at village Medhauli was an agricultural land, which was approximately 86 to 87 acres. He has produced the register

relating to consolidation for the year 1958-59, which has been marked as Ex. B/6 and its photocopy as Ex. B/6-C. Between the years 1977 and 2003, this land was acquired by the Northern Coalfields Limited and the NTPC. He states that he received about rupees forty lacs in compensation. The documents relating to the receipt of compensation have been filed from Ex. D/7 till Ex. D/17. Besides the aforementioned lands, on 25/06/1986, through a family settlement, he received 45 acres of land. The original deed of surrender has been marked as Ex. D/18 and its photocopy as Ex. D/18-C.

29. Between the years 1991 and 2003, the Respondent says that he sold these 45 acres of land. All the said lands were sold by a registered sale-deeds. There are 105 such sale-deeds and he has produced the certified copies of them, which are marked from Ex. D/19 till Ex. D/123. From these 105 sale-deeds, the Respondent says he received about rupees forty-two lacs as consideration. He says the *Rin Pustika*, in relation to these 45 acres of land, is Article "2" herein. In the *Rin Pustika*, the Respondent states that the description of all the sale-deeds executed by him are mentioned. In cross-examination, the Respondent has seen Ex. P/6 and stated that it is the same affidavit which he had sworn in the year 2013 for the Assembly elections. The Respondent is also confronted with the affidavit filed by him to the 2008 Assembly elections wherein he admits that in the said affidavit to the 2008 Assembly elections he had given the description of his property and his educational qualifications. He further states that in the affidavit to the 2008




Assembly elections, he had stated that the land on Khasra nos.61 and 67/2 of village Nigahi is his own property. He says in this affidavit that earlier his wife's name Gulabi was entered, which was later struck-off. He further states that it is wrong to suggest that he has stated in his affidavit that Khasra nos.346, 347, 410 and 411 are in the name of his wife. He volunteers the statement that the said properties are in his own name.

30. In the course of arguments, learned counsel for the Respondent has stated that this portion of the evidence must be excluded from reckoning as there is no pleading to this effect in the election petition itself. Upon being further cross-examined, the Respondent states that it is correct to suggest that he had disclosed in his affidavit with regard to his educational qualifications being that of Graduate in *Uttama* from the Kala Vidhi Mahavidyalaya, Singrauli, in the year 1994. As regards the houses at village Medhauli, the Respondent states that his houses are situated on Khasra nos.346/1 and 61/2-B. He further states that these houses were made between the years 2002 and 2004 and the cost of building them was rupees forty-two lacs. He further states that Singrauli became a district on 24/05/08 on account of which the costs of lands went up. He further states that in the year 2008 at the time of the Assembly elections, he had filled up his nomination form in which he has disclosed the cost of the land and the buildings to be rupees one crore and forty-five lacs as per the Collector guidelines existing at that time. He further states that when he got the lands and the houses evaluated, it is the same land which finds mention

in his affidavit to the nomination form for the 2013 Assembly elections. He had shown the value at rupees one crore and seventy lacs again as per the Collector guidelines existing at that time.

31. As regards the Trust, which runs a college and a Law College at Medhauli, the Respondent states that the late Mayaram College, Singrauli, is being administered by the late Mayaram Vaishya Education Society. He says that the said Society has been registered in the year 2002. He has produced the certificate of registration in original, which has been marked as Ex. D/124-C. The Respondent states that he was the Chairman of the said Trust from the date of its registration till 02/10/2013. After 02/10/2013, he gave his resignation from the post of Chairman to the Secretary of the Society.

32. As regards the description of his properties, the witness states that in the year 2013 he has given the details thereof in his affidavit from pages 343 to 345. He states that he has not given the details pertaining to the properties belonging to his wife as there were no properties in her name and as the children, who were dependents, had become major/ adults, the properties in their names were also not mentioned. He further states that it is correct to suggest that in the affidavit to the nomination form that he filed up in the year 2013, he has shown the properties on Khasra nos.346, 347, 410, 943, 952, 989 and 998 as his own properties. He also states that it is correct to suggest that in the affidavit, it is essential to disclose whether the said properties were self-acquired or inherited. He has also stated that it is




correct to suggest that he had inherited some of the properties and some of them were acquired by himself. He further states that in his affidavit he has not given the details as to which of the properties of his were self-acquired and which were inherited.

33. The contents of paragraphs 11,12 and 13 of the deposition, which is sought to be relied upon by the learned counsel for the Petitioner is not being considered by this Court as there are no corresponding pleadings relating to the same in the election petition and even though the same has been elicited in the course of the examination-in-chief, they cannot be considered.
34. The cross-examination of this witness is brief from paragraphs 33 to 37, he has been cross-examined with regard to his educational qualifications. In paragraph 38, the witness has denied that the facts given by him relating to his educational qualifications and his property are incorrect.
35. D.W.2 Gulab Singh is a teacher from the Government Primary School at Medhauri. He says that he is looking after the work of the Principal of the said school and he has proved the transfer certificate and the results of Classes I to V of the year 1962 relating to the Petitioner. It is relevant to state here that this witness was also examined by the Petitioner. In the course of the examination-in-chief, the learned counsel for the Petitioner has raised an objection with regard to the questions put to the witness by the learned counsel for the Respondent with regard to Ex.P14 which, according to the learned counsel for the

Petitioner, has already been put and proved by the witness and that the Respondent has attempted to fill up the lacuna left over in the previous cross-examination. In this regard, this court is of the opinion that the issue of filling up the lacuna is relevant only where a party recalls a particular witness, which has already been examined by him. On the earlier occasion, this witness was called by the Petitioner as P.W.8 to prove his documents and subsequently after the commencement of the evidence for the defendant, the defendant has also called the same witness as the defence witness to prove the documents relevant to the defence. This would not be an instance of recall of the witness as earlier the defendant/Respondent had cross-examined this witness when the witness had appeared as P.W.8 in relation to those documents which were proved by this witness on behalf of the Petitioner and cross-examined him on those statements which were elicited in-chief by the Petitioner. Under the circumstances, the objection raised by the Petitioner is untenable and so rejected.

36. D.W.3 is a teacher from the Government Middle School at Shahpur, district Singrauli. He has proved the transfer certificate of the Respondent No.1 and other details relating to the time spent by the Respondent in the said school. D.W.4 is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad. Learned counsel for the Petitioner has objected to the exhibiting of Ex. D131 on the grounds that it does not satisfy the precondition of section 65-B of the Evidence Act as the same relates to information of the Hindi Sahitya Sammelan at Prayag,




which has been downloaded from the website. The judgment of the Supreme Court in P. Anwar mandates that the certificate under section 65-B must be contemporaneous with its creation. As Ex. D-131 does not have a certificate as required under section 65-B (4) of the Evidence Act, the objection of the learned counsel for the Petitioner is sustained and the said exhibit is not being looked into by this court.

37. **D.W.5** is the SDO and has got proved the documents relating to the land acquired by the State belonging to the Petitioner. **D.W.6** is Jagdish Prasad, who is the Senior Revenue Inspector. Before he could be examined, the learned counsel for the Petitioner fairly submits that the compensation amount of Rs.36,21,881/- received by the Respondent No.1 on account of acquisition of his land by NCL, which was to be proved by P.W.6, has been admitted by the Petitioner in effect, admitting Exs.D7 to D12. On account of the admission on the part of the Petitioner, this witness was discharged without being examined.
38. **D.W.7** is **Badrinarayan Vaish**, who is the President of late Vaishya Mayaram Shiksha Samiti of Singrauli and has been examined and cross-examined on the point of registration of the society.
39. In the cross examination, issue Nos.2,3,7 and 9 were relinquished by the Petitioner. The remaining grounds are interconnected basically on two issues. One is with regard to the acquisition of properties at Medhauri and the other relates to

the educational qualifications pertaining to the Respondent No.1 which according to the Petitioner are incorrect details.

40. The election of the Petitioner has been challenged on two grounds, namely false declaration with regard to property, educational qualifications and non-disclosure about construction of Mayaram Degree College and Mayaram Law College, which according to the Petitioner is constructed on the land of the Respondent himself at the cost of rupees four crores from his personal income. The allegation of corrupt practices has been averred in paragraph nos.13 to 19 of the petition. The issue relating to corrupt practices has been framed as issue No.7, which this court proposes to take at the outset in order to examine the Petitioner who is said to be held guilty of corrupt practices. The Petitioner has examined himself as P.W.1. He has stated that as per his knowledge, the Respondent has not given correct information in his affidavit filed in support of his nomination. This court has peripherally examined the evidence recorded to ascertain the same. In the evidence of P.W.1, who is the complainant herein, it is clearly revealed that the information relating to corrupt practices was given to him by other persons like Ram Karan and Krishnanand. He also takes the names of Neeraj Tiwari and Arun Singh. Krishnanand Jaiswal has been examined as P.W.2 whose statement has been abandoned by the learned counsel for the Petitioner in the course of arguments and the statement of Ram Karan who has been examined as P.W.3 has also been abandoned as related to corrupt practices. Thus, having abandoned the statements of




the two witnesses relating to other witnesses who are also relevant as far as corrupt practices, the said issue has not been proved even on the anvil of the standard of preponderance of probability, far less that of beyond reasonable doubt and, therefore, the issue has not been proved by the Petitioner.

41. As regards the main issue with regard to the two houses alleged to have been constructed by the Petitioner at Medhauri from illegal income, which the Respondent is stated to have unlawfully made during his tenure as Mayor and MLA, the averments relating to the said houses are in paragraph nos.8 and 9 of the petition. The Petitioner has also alleged that the houses at Medhauri are not ancestral and they have been constructed out of the illegal income acquired by the Respondent No.1 from the office of Mayor and that of MLA which the Respondent No.1 occupied earlier. The valuation of the said houses has been assessed at rupees two crores by the Petitioner. The Respondent in his deposition before the court has stated in paragraph No.1 that he was elected as Mayor of the Municipal Corporation, Singrauli, in the year 2004 as a candidate of Bhartiya Janata Party. He states that he took oath of the office of Mayor on 10/01/05. This fact has not been controverted. In paragraph No.2 this witness states that he contested for the post of MLA in the year 2008 as the candidate of the Bhartiya Janata Party. On that occasion, his opponent was the Petitioner No.1 Ram Ashok Sharma who was the candidate for the post of MLA Singrauli from the Congress Party. The Petitioner Ram Ashok Sharma lost the election and, according to the Respondent Ram

Lallu Vaish, the security deposit of the Petitioner was also forfeited. The allegation with regard to the properties at Medhauri are that the same were constructed ten years back, as stated in the election petition, which would mean that the houses were constructed in the year 2004. However, the property tax for the said property was being paid since the year 2002. At that time, undisputedly, the Respondent was neither Mayor nor a Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and so the allegation that the construction of the houses by the Respondent, from the illegal income derived from the office of the Mayor and MLA, does not arise.

42. As regards the source of the money by which the properties were bought, Ex.D6 is the record of rights under section 123 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, which is the annual *Khatauni Jamabandi* related to the year 1958-59. The said exhibit shows that 86.82 acres of land stood in the name of late Mayaram Bais, the father of the Respondent. The entire land was acquired by the National Thermal Power Corporation (NTPC) and the Northern Coalfields Limited for which his father received a compensation of Rs.40,00,000/- between 1997 and 2003 as reflected by Exs.D8 to D17 which are documents relating to the land acquisition and award of compensation.




43. In paragraph No. 5 of his deposition, the Respondent states that he received about 45 acres on account of Ex. D18, which is a deed of relinquishment by other heirs to the property in favour of the Respondent. This land, after it came to the share of the Respondent, was sold by a number of sale-deeds, which are

Exs.D19 to D123 during the period from 1991 to 2003 for a consideration of Rs.42,00,000/-. It is also relevant to mention here that the Respondent did not examine the Registrar to prove the sale-deeds, Exs.D19 D123, as the Petitioner did not dispute the execution of the sale-deeds as has been recorded in the order-sheet dated 07/03/17 of this court.

44. As regards false disclosure relating to the nature of the land, Ex. P6 is the affidavit that has been filed by the Petitioner. Ex.P6-C reveals that the Petitioner has disclosed land bearing Khasra Nos.61/2-Ka, area of 0.02 hectare; 65/2-Da(2), area of 0.352 hectare; 346/1(1), area of 0.607 hectare; 347/1, area of 0.668 hectare and 410/2-Kha, area of 0.810 hectare, a total of 2.639 hectares situated at village Medhauli, district Singrauli. Thereafter, it also discloses that Khasra No.7/2 of 19 acres is situated at village Semohar, district Singrauli, Khasra No.943, having an area of 0.24 hectare; Khasra No.952, having an area of 0.56 hectare; Khasra No.989, having an area of 0.56 hectare; Khasra No.998, having an area of 0.23 hectare; total 1.59 hectares at village Radhar, Tahsil Dudhi. Thus, it is seen that the property consisting of the houses and lands has been disclosed by the Respondent. Besides what has been disclosed by the Respondent, the Petitioner has not alleged that there were other lands belonging to the Respondent, which he did not disclose. It is relevant to mention here that in the election petition, there is no averment with regard to wrong disclosure or in relation to the property acquired by the Petitioner has been ancestral or self-acquired. In paragraph 8 of the election petition

the Petitioner, thus, seeks that the houses situated at village Medhauri, district Singrauli and house No.61 situated at village Medhauri as his ancestral properties which, according to the Petitioner, is false even to the knowledge of the Respondent. However, he doesn't adequately substantiate the said allegation but for what the Petitioner has stated in paragraph No.9 that these houses were being constructed merely ten years back at a cost of almost rupees two crores and for which the Respondent discloses the value of the house as rupees one crore and seventy lacs in his affidavit and that these houses were constructed by the Respondent himself and he had no illegal income to invest such an amount and, therefore, the said money came by illegitimate means from the office of the Mayor of the Municipal Corporation, Singrauli, which the Respondent occupied in the year 2003 and as a MLA from Singrauli constituency from the year 2008.


45. In view of what has already been observed hereinabove that the Respondent was paying the house tax from the year 2002, which shows that the said property came into existence even before the Petitioner occupied the office of the Mayor of the Municipal Corporation of Singrauli and before he became MLA from Singrauli constituency in the year 2008. Thus, the contention of the Petitioner is untenable. The same is not disputed by the Petitioner himself as the Petitioner has stated in paragraph No.9 of the election petition itself that the Respondent has started paying the property tax for the said property from the year 2002 itself. Thus, this fact is not disputed.



46. It is also relevant to mention here the fact that the Petitioner had received compensation of rupees forty lacs from 86.82 acres of land that was acquired by the NTPC and the NCL, which is not been disputed by the Petitioner and also the fact that about 45 acres of land came to the Petitioner on account of the relinquishment by the owners of the said land by way of exclusion of relinquishment deeds which are Ex.D8. The mention of the said land as ancestral in the affidavit is 23:23 of land mentioned in Exs.D8 to D17. The said lands were in the name of the Respondent's father and, therefore, it was ancestral property out of which a sum of rupees forty lacs received by way of compensation from the NTPC and the NCL would also come under the category of ancestral property. In paragraph No.15 of his deposition, this witness has stated that he had mentioned the above properties as ancestral or such moneys that were paid to him through the sale of such ancestral properties.
47. Under the circumstances, describing the source as ancestral cannot be stated to have misled the public at large as the lands originally belonged to the father of the Respondent, which was acquired as mentioned hereinabove and the said amount of compensation paid during the acquisition process having come into the account of the Respondent, it continues to retain its ancestral origin. In this regard, it is also relevant to mention here that the Petitioner had contested the election against the Respondent in the year 2008 at which point of time itself all these facts had been in the knowledge of the Petitioner and yet he never made any kind of objection to the Returning Officer at

that point of time. P.W.5, who is the Returning Officer, has also stated in his deposition that no objection was ever raised before him with regard to the non-disclosure of the source of properties whether prior or after the election. Such an objection, even if it is not placed before the Returning Officer at the time of election or immediately thereafter, does not preclude the Petitioner for raising it before this court in an election petition. However, in view of what has been stated and observed hereinabove, it cannot be held that there was any violation of any provision of the of the Representation of the Peoples Act, 1950 or the rules made there under with regard to the disclosure of the properties of the Respondent.

48. The next allegation refers to the educational qualifications of the Respondent. The allegation levelled by the Petitioner in paragraph No.10 of the election petition is that the Respondent has not even passed Class V. In this regard it is relevant to refer to Ex. D/1, which is a transfer certificate issued from the office of the Principal Government Primary School, Medhauli, disclosing that the Respondent has studied from 26/02/1956 to 01/07/1964 in that school and passed his fifth examination in 1964. Ex. D/1 has been proved by D.W.2. The said document shows that the Respondent has passed Class V and, therefore, the said certificate negates the contention of the Petitioner in para 10 should the Petitioner has not even passed Class V. Ex.P14/C is an admission register proved by D.W.2 Gulab Singh, which reflects that the name of the Respondent appears at sr.No.85. Ex. P14/C is the admission register




pertaining to Gram Primary School at Medhauli, which has been proved by P.W.8 who was also examined as D.W.2 in this case. The said register shows the Respondent to be a student of the aforementioned school. Gulab Singh as D.W.2 has also stated that the said register does not disclose as to whether a student has passed or failed in a particular year. Ex. D/135 proves that the Respondent passed his Class III examination in the year 1962..

49. The fulcrum of the Petitioner's attack has been with regard to his graduation from the Hindi Sahitya Sammelan at Allahabad which, according to the Petitioner, is not a valid degree and his reference to himself as a post-graduate in his affidavit is misleading and has materially affected the outcome of the elections in his favour. In the affidavit filed by the Respondent to the 2008 and 2013 elections, he has stated that he has passed his *Uttama* (graduate in Arts faculty) from Kalavidhi Mahavidyalaya, Singrauli, in 1984. In the affidavit filed in the year 2013, Ex. P6(c), the Respondent has stated that he is *Uttama* and at another place, he has referred himself as *Madhyama* from the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad. The question as far as the educational qualifications of the Petitioner is concerned is whether the *Uttama* degree acquired by the Respondent from the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, is equivalent to B.A. (Hons.) as mentioned in Ex. D-131. Ex. D-4 is the mark-sheet showing that the Respondent has passed his *Uttama* in the year 1987. The said document is the mark-statement issued by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad,

for *Uttama* which shows that the Petitioner has passed the course of *Uttama*. With regard to the educational qualifications or the controversies surrounding the Petitioner's qualifications who has passed the *Uttama* and the *Madhyama* examinations conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.

50. It would be beneficial to refer to the evidence of D.W.4 Rotherham Shukla. He is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad. In paragraph No.1 of his statement, this witness states that the letter marked as Ex.D-139 has been written by him dated 25/08/2014 in response to a query by Dr. S. C. Tripathi, Advocate, High Court of Allahabad, vide his letter dated 25.8.2014. According to his letter, he says that the Arts and Law College, Singrauli, was the authorized centre for the Hindi Sahitya Sammelan examinations between the year 1981 and 1987. He says that the Hindi Sahitya Sammelan conducts the *Prathama*, *Madhyama* (Visharad) and *Uttama* examinations. He further states that these examinations are held in all the authorized centres throughout the country. This witness states that in *Madhyama* only those candidates are given entrance who have passed the *Prathama* examination in Hindi conducted by them. He further states that it is not necessary to have received education up to a particular class to secure admission in the *Prathama* course. In paragraph No.3 this witness states that the Government of India through the Ministry of Education and Social Welfare in its advertisement dated 18/02/1970, had held *Madhyama* (Visharad) in Hindi to be of the same level as B.A. and, therefore, *Uttama* (Hindi Sahitya) was granted the same



recognition as B.A. (Hons.) in Hindi. He has proved Ex. D-130, which is an advertisement issued by the Hindi Sahitya Sammelan, which is in two pages. In page No.2, equivalent examinations of the *Madhyama* and *Uttama* are given. Ex. D-3 is the second copy of the mark-list issued by the Hindi Sahitya Sammelan on 07/04/2014 of the Respondent Ram Lallu Vaish having passed the *Madhyama* (Visharad) examination. He further states that Ex. D-4 is the mark-list showing that the Respondent Ram Lallu Vaish has passed the *Uttama* First Part (Literature). He says that Exs.D-3 and D-4 of *Madhyama* (Visharad) are issued by the Hindi Sahitya Sammelan Allahabad. Lastly, in this paragraph he states that Allahabad and Prayag are the names of one and the same place. He further states that Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, and Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, are one and the same. The last statement of this witness in paragraph No.3 assumes relevance as it was contended on behalf of the Petitioner in the course of arguments that Allahabad and Prayag are different places. Even otherwise, this controversy is now laid to rest as Allahabad has been renamed as Prayagraj by the Government of Uttar Pradesh and the same comes under the category of "notorious facts" and no evidence is required to prove it. In paragraph No.4, this witness has brought the "information of Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, in Allahabad" downloaded from their website, which is marked as Ex. D-130.

51. The learned counsel for the Petitioner has objected to the exhibiting of the said documents as the same does not satisfy


the requirements of section 65-B (4) of the Evidence Act. As the said document is not accompanied by a certificate under section 65-B(o), this court is not inclined to appreciate the said document and, therefore, is not considering Ex. D-131.

52. Further, this witness states that he has brought the registers of the Hindi Sahitya Sammelan with regard to the results of the years 1982 and 1987. In the register of the *Madhyama* (Visharad) of the year 1982 in page No.142 at sr.No.3434 the Respondent Ram Lallu Vaish is shown as having passed in Class III. In paragraph No.6 this witness states that he has brought with him the original register relating to *Uttama* (Part I) of the year 1987, which is marked as Ex. D-133. This court has marked the copy of the said document as Ex. D-133C. This witness states that in page 93 of the said register at sr.No.5903, the Respondent had passed *Uttama* (Part I). In paragraph No.7, this witness gives a short brief history of the Hindi Sahitya Sammelan. He says that the said Hindi Sahitya Sammelan came into existence in 1910 and is continuing from that date onwards. Before the year 1962, the institute was registered under the Societies Registration Act, 1960. The said registration was renewed every five years. The last renewal was done on 26/05/15 for a period of five years. In cross-examination, this witness admits that earlier the institute used to be referred to as the Hindi Sahitya Sammelan Vishwavidyalaya and that the name Vishwavidyalaya was deleted in the year 1997-98. This witness states that the institution is not recognized by the University Grants Commission. He further states that his

institution issues certificates and degrees. This witness further states that as per the recognition given by the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, by its press-note dated 18/02/70, the Ministry of Education and Social Welfare of the Government of India had granted recognition to *Prathma*, *Madhyama* and *Uttama* examinations conducted by the Sammelan. He further states that *Prathma* is equivalent to SSLC, *Madhyama* (Visharad) is equivalent to B.A. and *Uttama* in Hindi literature is given the status of B.A. (Hons.). In paragraph No.10, this witness in his cross-examination says that it is correct to state that Ex. D-130 is only a press release and not an order. He further states that the said press release may have been published in the Gazette of India. However, he has not brought the said notification with him. He further states that it is correct to suggest that in the said press release it is given that the exams conducted by them will not be considered equivalent to degrees. From the evidence of this witness, it is clear that he has stated that the examination conducted by the Hindi Sahitya Sammelan gives equivalence to B.A. as regards the *Madhyama* (Visharad) and B.A. (Hons.) as regards *Uttama*.

53. The learned counsel for the Petitioner has referred to the deposition of Ajay Kumar (P.W.6) who was deposed before this court. He is the LDC in the UGC office at Bhopal. He brought the list of recognized Universities in court. He states that in the said list of Universities, the Hindi Sahitya Sammelan at Allahabad does not find a place as Hindi University.

54. The Petitioner has been able to prove that the Hindi Sahitya Sammelan is not a University which has been recognized by the University Grants Commission. The Petitioner has also been able to raise a doubt with regard to whether the Prathma, Madhyama, Vishard and Uttamma can be considered as equivalent of SSLC, BA and BA(Hons.) in the light of the fact that there is no necessity to pass any particular level of schooling before joining any of the aforementioned courses conducted by the Hindi Sahitya Sammelan.
55. The main challenge to the Respondent's election has been given by the Petitioner, under section 100 (1)(d) (i) whether the election of the Petitioner must be declared void as it has been materially affected by improper acceptance of his nomination forms. The said ground would have stood satisfied if the evidence on record could have established that the disclosures made by the Petitioner in his affidavit in support of the nomination form on the grounds of which the Petitioner states that wrong disclosures made therein had materially affected the Petitioner's election, the same could only be accepted as correct if the said disclosures made by the Petitioner with regard to his properties and his education were known to him as being false. In the entire case, nowhere has the Petitioner has even alleged and, therefore, has not established, that besides the properties stated by the Petitioner as belonging to him there were such other properties which he did not disclose, on account of the concealment of which it materially affected the outcome of the election as the declaration made by the Respondent in his




affidavit did not appropriately assist the voter in making up his mind before he voted for the Respondent.

56. As regards the properties of the Respondent in his evidence has adequately answered the source of income on the basis of which he was able to buy the said properties. His reference to those properties are also justified as to start with, the Respondent has been able to prove that the said properties were in the name of his late father Mayaram Bais and how the same came to him through inheritance by which he got the monies from the acquisition of the said lands by the NTPC and the National Coalfields Limited (NCL). He has also established as to how the other persons having interest in the land have executed the deed of relinquishment by which the said land devolved upon the Petitioner after the sale of which he purchased the said property at Medhauri. Thereafter it is also relevant that there where the Petitioner himself has admitted that the Respondent was paying the house tax for the said properties from the year 2002 itself as is reflected in his election petition, therefore, his allegation that the Petitioner has purchased the said two house at Medhauri from his ill-gotten wealth which he made in the course of occupying the office of Mayor of Municipal Corporation Singrauli from the year 2003 and the money that he made during his tenure as an MLA in the year 2008. The Petitioner has given precious little proof of the allegation and the very fact that the Petitioner himself admits that the Respondent has been paying house tax for the said properties from the year 2002 itself goes to establish that the houses were constructed and ready

even before 2003 when he occupied the office of Mayor and much before 2008. Thus, the allegations with regard to the declaration of the details relating to his properties being incorrect is rejected and so the said issue has not been proved.

57. As regards the question of the Respondent's educational qualification, especially with regard to Prathama, Madhyama and Uttama, it is relevant to mention here that the witness who appeared on behalf of the Hindi Sahitya Sammelan has given the same details as stated by the Respondent. Under the circumstances, the details relating to the educational qualifications given by the Respondent were as per his perception, of the kind of education he has received and the courses that he had passed. It would have been quite another thing that had D.W.4 Radheshyam Shukla asserted in his evidence that the *Prathama, Madhyama (Visharad)* and *Uttama* are not equivalent to SSIC, B.A. and B.A. (Hons.). Therefore, when the witness D.W.4 who is the Registrar of the Hindi Sahitya Sammelan himself states that the equivalence of *Prathama, Madhyama* and *Uttama* as SSLC, B.A. and B.A. (Hons.), then the Respondent cannot be held at fault for having declared so in his affidavit in support of his nomination. It can be inferred that the Respondent was genuinely under the perception with regard to the equivalence of the course he had done and the correctness of the same is a matter of debate for which the fault cannot be laid at the doorstep of the Respondent. Therefore, as far as the details relating to the educational qualifications of the Respondent is concerned, the Petitioner has



failed to prove that they are incorrect and that the same had materially affected the outcome of the election.

58. As regards the non-disclosure about the construction of the Mayaram Degree College and the Mayaram Law College on the land of the Respondent and that too from his personal income of rupees four crores, which the Petitioner submits was not disclosed in the affidavit, is concerned the same has also been examined in detail by this court. None of the witnesses have been able to prove that (a) the land belonged to the Respondent, and (b) he has constructed the said college and the law college out of his own personal funds. A passing attempt has been made by the Petitioner through Bhupendra Singh (P.W.9) who is the Patwari of Halka Medhauri who has stated that the entry relating to the land in the revenue records is shown as belonging to "late Mayaram Vaishya Shiksha Samiti, Singrauli, Medhauri" through President Ram Lallu Vaishya. The said statement and the document do not go to establish ownership of the said land on which the Samiti exists, as that of the Respondent and the document only shows that the Respondent is the President of the Shiksha Samiti, which is a society registered under the Registration of the Societies Act.

59. The Respondent, on the other hand, has examined Badrinarayan Vaish (D.W.7), who is the son of the Respondent Ram Lallu Vaish and the President of the late Mayaram Vaishya Shiksha Samiti, Singrauli. He states that he is the President of the said Shiksha Samiti from 02/10/13 and before him, the Respondent was the President. He says that the Respondent

gave his resignation on 02/10/17, which was accepted by the members of the Samiti, after which the witness was elected as the President of the Samiti. In paragraph No.3 he says that the said Shiksha Samiti was registered on 28.12.2002. The certificate of registration has been produced and a copy of it has been marked as Ex. D124-C. This witness says that the registered society manages the Mayaram College and the Mayaram Law College. The College has been functioning since the year 2005 and the Law College from the year 2008. The said society is stated to have bought the land from the Respondent on 13.2.2004 by way of a registered sale-deed. The witness has produced the registered sale-deed before this court by which the land was sold by the Petitioner to the society as Ex. D141-C.

60. Under the circumstances, the said allegation has not been proved by the Petitioner himself and, on the other hand, the Respondent has been able to prove before this court that the land belongs to a registered society and the same was purchased by the society from the Respondent in the year 2004 by way of a registered sale-deed. The society is a legal person and has its own independent existence separate from the members and its officials. Thus, the land in question belongs to the society and not to the Respondent. It is also seen that the Respondent had resigned from the post of President of the said society before the elections in the year 2013. Under the circumstances, this issue also has not been proved by the Petitioner against the Respondent.

61. Under the circumstances, the other inter-related issues have also not been proved by the Petitioner and, therefore, the election petition stands dismissed. A copy of this order be sent to the State Election Commission. The parties to bear their costs. The original records (two sealed envelopes) to be sent back to the respective offices.

By order,
Sd./-
(S. B. JOSHI)
Secretary,
Election Commission of India.

Sd./-
(ATUL SREEDHARAN)
Judge.